मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)(ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध जिला हमीरपुर के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ के महत्वपूर्ण पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहे हैः–

(1) उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री रोहन चन्द ठाकुर	1.1.2015 से 23.2.2016
2	श्री मदन चौहान	23.2.2016 से 31.12.2016

(2) उपमण्डलाधिकारी मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अक्षय सूद	1.1.2015 से 31.12.2016

(3) मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री सुख देव ठाकुर	1.1.2015 से 31.12.2015
2	श्री सीता राम चौहान	1.1.2016 से 29.2.2016
3	श्री ईश्वर दास	1.3.2016 से 31.12.2016

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने पर पैरों का निपटारा किया गया, परन्तु अन्य पैरों के निपटारे हेतु मन्दिर न्यास द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप उनका निपटारा नहीं हो सका। अतः पुराने लम्बित पड़े पैरों के निपटारे हेतु मन्दिर न्यास शीघ्र उचित कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें ताकि इन पैरों का निपटारा भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **"परिशिष्ट–क"** में दिया गया है।

(घ)गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी के अंकेक्षण अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (₹) (लाखों में)
1	6	सावधि जमा में निवेशित राशि को समय पर पुनः निवेशित न करने व परिपक्वता की तिथि से पूर्व भुनाने पर ब्याज की हानि बारे	11.80
2	12	मन्दिर न्यास द्वारा लेखों मे ंप्राप्त राशि का कम लेखांकन करने बारे	3.85
3	14	मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को अनियमित रूप से अपने कार्यालयों में तैनाती बारे	112.64
4	15	सहायक भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शिमला द्वारा मन्दिर न्यास के विरूद्ध राशि जमा करवाने बारे आदेश पारित करना	61.17
5	16	मन्दिर न्यास द्वारा अनियमित रूप से मन्दिर न्यास कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 खातों में राशि जमा करके अनुचित लाभ पहुँचाने बारे	50.44
6	17	मन्दिर न्यास द्वारा समय पर रिटर्न (Return) न करने के फलस्वरूप ब्याज/पैनेल्टी का भुगतान करने बारे	25.34

7	18	मन्दिर न्यास द्वारा मटठ पानी योजना बन्द होने पर बिजली मीटरो को बन्द न करने पर विद्युत विभाग को अनुचित भुगतान बारे	5.50
8	28 (1)	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि से बिजली व दूरभाष बिलों का भुगतान बारे	2.18
9	35	मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने पर विभिन्न विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे	232.55

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 4.1.2017 से 10.3.2017 व 4.5.2017 से 4.7.2017 तक के दौरान दियोट सिद्ध में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/2015, 4/2016 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/2015, 6/2016 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹162200 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 219 दिनांक 3.7.2017 द्वारा मन्दिर न्यास प्रशासन से अनुरोध किया गया। अतः उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजी जानी सुनिश्चित की जाए।

4 वित्तीय स्थितिः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में भी दिया गया हैः–

(क) दान व चढ़ावा निधि, मन्दिर निधि, गिरावट/ह्रास निधि, संचित निधि, जलपान गृह निधि व सिद्ध आँचल सराये, प्रतिभूति निधि की संयुक्त रूप से ली गई वित्तीय स्थितिः–

क्र0सं0	विवरण	2015	2016
(i)	प्रारम्भिक शेष	454802245.71	546498936.44
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	209630081.03	215058900.85
(iii)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	42603333.00	44558351.00
(iv)	वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	4630500.00	4862024.00
(v)	**कुल राशि (₹)**	**711666159.74**	**810978212.29**
(vi)	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	160536723.30	199422543.75
(vii)	वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	4630500.00	4862024.00
(viii)	अन्तशेष राशि	546498936.44	606693644.54

दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष की राशि, जिसका रोंकड़ बही के अनुसार निधिवार विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	निधि का नाम	31.12.2016 को बैंक में जमा राशि (₹)
1	चढ़ावा निधि	280304901.75
2	दान निधि	84035344.54
3	मन्दिर निधि	144659912.00
4	गिरावट/ह्रास निधि	38010726.00
5	संचित निधि	37691180.00
6	प्रतिभूति निधि	1292389.00
7	जलपान गृह निधि	18498635.25
8	सिद्ध आँचल संराये निधि	2200556.00
	कुल योग (₹)	**606693644.54**

दिनांक 31.12.2016 को बैंक खाते व सावधि जमा खाते में निधिवार निवेशित राशियों का विवरणः–

(i) चढ़ावा निधि

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**31.12.2016 को खातों में कुल जमा राशि (₹)**
1	यूको बैंक दियोट सिद्ध	40	6104008.36
2	कांगड़ा को–ओपरेटिव बैंक दियोट सिद्ध	197	55191524.00
3	भारतीय स्टेट बैंक चकमोह	108	879200.09
4	ऐक्सस बैंक ऊना	7278	5846595.30
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बडसर	3796	4881474.00
	बचत खातों में जमा कुल राशि (₹)		**72902801.75**
	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवशित राशि (₹)		207402100.00
	दिनांक 31.12.2016 को जमा कुल राशि (₹)		280304901.75

(ii) दान निधि

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**31.12.2016 को खातों में कुल जमा राशि (₹)**
1	यूको बैंक दियोट सिद्ध	61	325657.51
2	कांगड़ा को–ओपरेटिव बैंक दियोट सिद्ध	198	7067339.00
3	भारतीय स्टेट बैंक चकमोह	109	269038.68
4	ऐक्सस बैंक ऊना	7317	1904672.00
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बडसर	9833	1972153.00
6	केनरा बैंक बडसर	832	4005249.35
7	पी0एन0बी0 मैहरे	192703	498854.00
	बचत खातों में जमा कुल राशि (₹)		16042963.54
	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवशित राशि (₹)		67992381.00
	दिनांक 31.12.2016 को जमा कुल राशि (₹)		84035344.54

(iii) मन्दिर निधि

1	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष राशि	144659912
2	दिनांक 31.12.2016 को खाता संख्या 15262 में जमा राशि	1559768
3	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवेशित कुल राशि	143100144
4	**कुल योग (₹)**	**144659912**

(iv)	**गिरावट/ह्रास निधि**	
1	दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष राशि (₹)	38010726.00
2	दिनांक 31.12.2016 को खाता संख्या 15284 में जमा राशि (₹)	971403.00
3	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवेशित कुल राशि (₹)	37039323.00
4	**कुल योग राशि (₹)**	**38010726.00**
(v)	**संचित निधि**	
(i)	दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	37691180.00
(ii)	दिनांक 31.12.2016 को खाता संख्या 15273 में जमा राशि	3953576.00
(iii)	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवेशित कुल राशि (₹)	33737604.00
(iv)	**कुल योग राशि (₹)**	**37691180.00**
(vi)	**प्रतिभूति निधिः–**	
(i)	दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	1292389.00
(ii)	दिनांक 31.12.2016 को खाता संख्या 3001 में जमा राशि	1292389.00
(vii)	**जलपान गृह (कैन्टीन) निधिः–**	
(i)	दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	18498635.25
(ii)	दिनांक 31.12.2016 को खाता संख्या 127 में जमा राशि	1649965.25
(iii)	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवेशित राशि (₹)	16848670.00
(iv)	**कुल योग राशि (₹)**	**18498635.25**
(viii)	**सिद्ध आँचल संराये निधिः–**	
(i)	दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	2200556
(ii)	दिनांक 31.12.2016 को खाता संख्या 205 में जमा राशि	2200556

5 सोना एवं चाँदी का विवरणः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट "ग" में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 तक सोने का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	किलोग्राम	ग्राम	मिलिग्राम
1.1.2015 को प्रारम्भिक शेष	21	348	189
वर्ष 2015 में प्राप्त सोना	01	141	500
वर्ष 2016 में प्राप्त सोना	–	970	440
31.12.2016 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	23	460	129

दिनांक 31.12.2016 को बैंक एवं स्टॉक में अन्तशेष

क्र0सं0	**विवरण**	**किलोग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
1	पी0एन0बी0 बैंक मैहरे लॉकर में जमा	09	199	000
2	स्वर्ण बाण्ड योजना में जमा शुद्ध सोना	03	956	099
3	मन्दिर सेफ में जमा शुद्ध सोना	00	093	030
4	मन्दिर सेफ में जमा अशुद्ध सोना	10	212	000
	दिनांक 31.12.2016 तक कुल अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	23	460	129

(ख) चाँदी का विवरणः–

मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 तक चाँदी का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	**क्विंटल**	**किलोग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
1.1.2015 को प्रारम्भिक	2	74	935	76
वर्ष 2015 में प्राप्त चाँदी	–	20	669	570
वर्ष 2016 में प्राप्त चाँदी	–	19	814	300
31.12.2016 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	3	15	418	946

दिनांक 31.12.2016 को बैंक एवं स्टॉक में अन्तशेष

क्र0सं0	**विवरण**	**क्विंटल**	**किलोग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
1	पी0एन0बी0 बैंक मैहरे लॉकर में जमा शुद्ध ईन्टें	1	26	286	000
2	मन्दिर सेफ में अशुद्ध चाँदी	1	89	132	946
	दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	3	15	418	946

(ग) चाँदी सामग्रीः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध में अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त चाँदी की सामग्री का विवरण निम्नलिखित है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में भी दिया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	चालान नं0	रसीद नं0	सामग्री विवरण	भार/वजन	इनवैन्टरी स्टॉक रजिस्टर पेज सं0
1	29.12.2014	2143	7458	चाँदी की थाली	350 ग्राम	201
				चाँदी की कौली	100 ग्राम	
				चाँदी की गडवी	50 ग्राम	
2	29.12.2014	1779	7410	चाँदी की ज्योति	737 ग्राम	5

(घ) बाबा जी के सिहांसन में लगाई सामग्री का विवरणः—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध में अवधि 1.1.2015 से 31.12.16 के दौरान बाबा जी की गुफा में सिहांसन में लगाई गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0 सं0	दिनांक	चालान नं0	रसीद नं0	सामग्री विवरण	भार/वजन	स्टॉक रजिस्टर पेज न0
1	8.3.2004	1351	790	सिहांसन पर लगा सोना	1 किलो 469 ग्राम	503/III
				सिहांसन पर लगी चाँदी	600 ग्राम	—यथोपरि—
				जरकन	25 नग	—यथोपरि—
2	31.3.2005	4860	6541	बाबा जी की गुफा के अन्दर तांबा प्लेट में स्थापित सोना तांबा प्लेट	655 ग्राम 24 किलोग्राम	—यथोपरि— —यथोपरि—

(ङ) हीरा नगः—

1	11.10.2013	हीरा नग	1 नग	501

(च) काँच के मनके

1	25.12.2006	काँच के मनके	145 ग्राम	505

(छ) मुकुट

1	21.11.2015	मुकुट चाँदी	500 ग्राम नग 4 ग्राम 500 मिलीग्राम	259
2	17.8.2015	मुकुट मय नग मनकों सहित (गिलिट)	70 ग्राम 600 मिलीग्राम	506

6 **सावधि जमा राशियों को समय पर पुनः निवेशित न करने व परिपक्वता दिनांक से पूर्व भुनाने के कारण ₹11.80 लाख ब्याज की हानिः–**

लेखा परीक्षा के दौरान सावधि जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ मामलों में सावधि जमा की राशियों को उनकी परिपक्वता दिनाँक को बैंक से नहीं भुनाया गया था। देरी से सावधि जमा की राशियों को बैंक से भुनाने के कारण मन्दिर न्यास को ब्याज की हानि हुई है। सावधि जमा की राशियों को बैंक से भुनाने के पश्चात पुनः सावधि जमा में निवेशित किया गया था। यदि इन सावधि जमा की राशियों को इनकी परिपक्वता तिथि (Date of Maturity) से बैंक में पुनः निवेशित किया होता तो ब्याज की हुई हानि से बचा जा सकता था। सावधि जमा की राशियों को समय पर पुनः निवेश न करने के कारण मन्दिर न्यास को ₹11.80 लाख ब्याज की हानि हुई है जिसके बारे विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170 दिनांक 03.03.2017 द्वारा मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया गया था लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त अनियमितता बारे कोई उत्तर नहीं दिया गया। सावधि जमा की राशियों को समय पर पुनः निवेश न करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹11.80 लाख की हानि का मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7 **बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का क्रेडिट न दिए जाने बारेः–**

मन्दिर न्यास श्री बाबा नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2015 से 12/2016 के अंकेक्षण के दौरान विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार दानस्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को यूको बैंक शाखा दियोटसिद्ध को विनिमय हेतु जमा करवाया गया, परन्तु बैंक में जमाक रवाई गई विदेशी मुद्रा का विनिमय करके सम्बन्धित बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया। अतः मन्दिर न्यास सम्बन्धित बैंक से यह मामला उठाकर विदेशी मुद्रा का विनिमय करवाकर अपेक्षित राशि का क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	विदेशी मुद्रा का नाम	माह 5/2015 में जमा मुद्रा	7/2015 में जमा मुद्रा	9/15 में जमा मुद्रा	10/15 में जमा मुद्रा	11/15 में जमा मुद्रा
1	England Pound	735	450	200	1910	2400
2	USA Dollars	707	1469	1177	1568	1762

3	UERO	30	1445	345	355	165
4	Canada Dollars	665	475	370	1275	1880
5	Australia Dollars	250	70	90	1270	740
6	UAE Dirhams	610	80	655	655	13975
7	Saudi Arab Riyal	101	196	4	21	—
8	Qutar Riyal	24	07	50	—	387
9	Newzeland Dollars	—	—	10	20	5
10	SingaPur Dollars	—	—	—	—	252
11	Kuwait Dinnars	—	—	—	—	2

8 मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि की रसीदों में गलत गणना के कारण कम राशि जमा करवाने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की आय की रसीदों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि की रसीदों में गलत योग/गणना करने के कारण बैंक में कम राशि कम करवाई है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर कम जमा करवाई गई राशि की वसूली चूककर्ताओं से वसूल करके मन्दिर निधि में जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास में आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र0सं0	दिनांक	चालान नं0	रसीद सं0	राशि (₹)	गणना लिपिक द्वारा दर्ज राशि (₹)	कम जमा राशि अन्तर (₹)
1	5.4.2015	1267	21509	150	50	100
			21523	150	50	100
2	7.4.2015	1269	21706 से 21707	150	50	100
3	8.4.2015	1270	21765	250	50	200
4	14.4.2015	1277	22375 से 22376	200	150	50
			22379	10	50	50

5	6.6.2015	3003	23796	200	20	180
6	8.6.2015	–	23798	100	–	100
			23799	100	–	100
			23800	100	–	100
7	2.4.2016	3081	13393	250	200	50
8	22.3.2016	3071	12394	30	20	10
					योग	**₹1140**

नोटः– उपरोक्त कम जमा ₹1140 को रसीद संख्या 5751 दिनांक 28.6.2017 द्वारा जमा कर दिया गया।

	क्र0सं0	दिनांक	चालान नं0	रसीद विवरण	स्थान रसीद	गणना रजिस्टर में दर्ज राशि (₹)	वास्तव में प्राप्त राशि (₹)	अन्तर राशि (₹)
II	1	26.3.15	1843	20114 सें 20118	सराये नं0 9	2400	2800	400

नोटः– उपरोक्त अन्तर की ₹400 की वसूली रसीद संख्या 2595 दिनांक 6.3.2017 द्वारा कर ली गई है

III	1	23.4.15	876	23401 से 23419	राशन बिक्री	3100	4100	1000
	2	28.4.15	878	23424 से 23453	राशन बिक्री	26295	26315	20
								1020

नोटः– उपरोक्त अन्तर ₹1020 की वसूली रसीद संख्या 004777 दिनांक 29.6.2017 द्वारा कर ली गई है।

9 मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों/चालानों द्वारा दानस्वरूप प्राप्त सामग्रियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार श्रद्धालुओं से रसीदों/चालानों के अन्तर्गत दानस्वरूप प्राप्त की गई सामग्रियों की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर न्यास द्वारा इन मदों की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ इन्द्राज कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि

भविष्य में आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि ऐसे प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	चालान नं0	सामग्री का नाम	मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा	अन्तर	अन्तर की मात्रा से सम्बन्धित रसीद संख्या व दिनांक
1	1.1.15	7160	693	चावल	25कि0ग्रा0	–	25 कि0ग्रा0	1955 / 29.6.17
2	6.4.15	8880	2735	कडछी स्टील	2 नं0	1 नं0	1 नं0	1959 / 30.6.17
3	7.4.15	8847	2736	रिफाईंन्ड तेल	15 ली0	–	15 ली0	1957 / 29.6.17
4	9.4.15	8075	1355	चीनी	50 कि0ग्रा0	40 कि0ग्रा0	10 कि0ग्रा0	1955 / 29.6.17
5	20.4.15	2062	2799	चम्मच	48 नं0	24 नं0	24 नं0	1969 / 30.6.17
6	18.5.15	8771	2276	चने दाल	20 कि0ग्रा0	2 कि0ग्रा0	18 कि0ग्रा0	1956 / 29.6.17
7	29.5.15	8792	2446	गेहूँ	35 कि0ग्रा0	25 कि0ग्रा0	10 कि0ग्रा0	1955 / 29.6.17
8	21.6.15	10640	2462	मिक्स दाल	15 कि0ग्रा0	5 कि0ग्रा0	10 कि0ग्रा0	1955 / 29.6.17
9	19.7.15	10687	3511	साबुत माह	30 कि0ग्रा0	–	30 कि0ग्रा0	1955 / 29.6.17
10	31.7.15	902	3521	चीनी	12 कि0ग्रा0	2 कि0ग्रा0	10 कि0ग्रा0	1956 / 29.6.17
11	31.7.15	902	3521	दाल चना	11 कि0ग्रा0	1 कि0ग्रा0	10 कि0ग्रा0	1956 / 29.6.17

10 मन्दिर न्यास द्वारा राशन बिक्री की रसीदों से प्राप्त आय की ₹0.52 लाख को विलम्ब से जमा करवाने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार राशन बिक्री की रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई आय ₹52665 को विलम्ब से न्यास खाते में जमा करवाया गया जबकि वित्तीय नियमानुसार वसूल की गई राशि को वसूली के अगले कार्य दिवस को

सम्बन्धित खाते में जमा करवाना अपेक्षित था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा राशि को देरी से बैंक में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा राशि को विलम्ब से जमा करवाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्डात्मक ब्याज की वसूली करके अपेक्षित राशि मन्दिर खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि भविष्य में मन्दिर न्यास समय पर राशि को न्यास खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	दिनांक रसीद	रसीद विवरण	चालान सं0	प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही/बैंक में राशि दर्ज/जमा करवाने की तिथि	देरी से राशि बैंक में जमा करवाने/विलम्ब दिन
1	26.4.16	1477 से 1489	CH Sale 10—183	28000	16.5.16	20 दिन
2	30.4.16	1533 से 1541	10—184	3245	16.5.16	16 दिन
3	1.5.16	1542	10—188	1510	16.5.16	15 दिन
4	2.5.16	1543 से 1576	10—189	8510	16.5.16	14 दिन
5	3.5.16	1577 से 1624	10—190	11100	16.5.16	13 दिन
			कुल राशि	52365		

11 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध द्वारा संचालित जलपान गृह (कैन्टीन) के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के अंकेक्षण में पाई अनियमितताएँः—

(1)जलपान गृह (कैन्टीन) के कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय की राशि में से ₹3751 को रोकड बही/बैंक खाते में कम जमा करवाने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित जलपान गृह (कैन्टीन) के कूपनों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार कैन्टीन के कूपनों की बिक्री से प्राप्त राशि में से ₹3751 को रोकड़ बही में दर्ज व बैंक खाते में कम जमा करवाया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर चूककर्ता से उक्त ₹3751 की वसूली करके दिनांक 28.6.2017 को यूको बैंक शाखा दियोट सिद्ध में उक्त निधि में जमा करवा के बैंक खाते दिया गया, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः भविष्य के लिए सुझाव दिया

जाता है कि संस्था अपने आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करें ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री का नाम	कूपन सं0	कूपन प्रति दर (₹)	कैन्टीन रजिस्टर में दर्ज कुल बिक्री (₹)	वास्तव में दर्ज होने वाली बिक्री राशि (₹)	अन्तर राशि (₹)
1	16.4.15	चना पूरी	32743 से 32746	15	—	15X4=60	60
2	1.4.16	प्रसाद डालडा	90373 से 90413	20	800	41X20=820	20
3	4.4.16	शुद्ध जल	13542 (25 नग)	18	414	25X18=450	36
4	5.4.16	प्रसाद डालडा	90546 से 90600	20	1060	55X20=1100	40
5	6.4.16	धूप	47011 से 47026	5	75	16X5=80	5
6	9.4.16	रोट डालडा	719662 से 720000	5	1680	339X5=1695	15
7	12.4.16	प्रसाद डालडा	91097 से 91175	20	—	79X20=1580	1580
8	22.4.16	रोट डालडा	749883 से 750000	5	585	118X5=590	5
9	27.4.16	रोट डालडा	761401 से 7620000 7620001 से 762600	5	4050	1200X5=6000	1950
10	30.4.16	ठण्डा—बी	13916 (96 नग)	20	1880	96X20=1920	40
						योग	**3751**

12 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध के अंकेक्षण में प्रस्तुत वर्ष 2015 व 2016 के लेखों में ₹3.86 लाख की प्राप्ति का कम लेखांकन करना एवं अनावश्यक रूप से बैंक खाता खोलनाः—

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उप—सचिव भाषा और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या LCD-F(4)-2/96-Loose दिनांक 2.6.2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उप—मण्डलाधिकारी एवं अध्यक्ष मन्दिर

अधिकारी ₹2.50 लाख व मन्दिर अधिकारी को ₹1.00 लाख की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसके पश्चात उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध के कार्यालय आदेश पृष्ठांकन संख्या 1068–69/TA-1/Power Act/HMR/2015 दिनांक 1.9.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उप–मण्डलाधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास को ₹1.00 लाख व मन्दिर अधिकारी को ₹20000 की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई थी।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर मन्दिर अधिकारी द्वारा दिनांक 1.1.2015 से 31.8.2015 तक ₹1.00 लाख व दिनांक 1.9.2015 से 31.12.2016 के दौरान ₹20000 तक के वाउचरों को अपने स्तर पर स्वीकृति प्रदान करके भुगतान हेतु पारित किया गया था दिनांक 1.1.2015 से 31.8.2015 तक ₹1.00 लाख से अधिक व दिनांक 1.9.2015 के पश्चात ₹20000 से अधिक राशि के वाउचरों को उपमण्डलाधिकारी (सी) एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर स्वीकृति प्रदान करके अथवा उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करके भुगतान हेतु पारित करके भुगतान किया गया। कुछ मामलों में यह पाया गया कि अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा एक से अधिक वाउचरों को एक साथ पारित करके मन्दिर अधिकारी के नाम से एक चैक काटकर मन्दिर अधिकारी को आगे भुगतान करने हेतु दिया जाता था। इन भुगतानों को करने के लिए मन्दिर अधिकारी द्वारा एक अन्य खाता मन्दिर अधिकारी के नाम से यूको बैंक में खाता संख्या 190 खोला गया है। इस खाते में मन्दिर अध्यक्ष द्वारा मन्दिर अधिकारी के नाम से आगे भुगतान करने हेतु जारी चैकों को जमा किया जाता है तथा इस खाते से मन्दिर अधिकारी द्वारा आगे भुगतान किया जाता है इस खाते को मन्दिर न्यास के अन्तिम लेखों में नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इस खाते में जमा राशियों से सम्बन्धित भुगतानों को मन्दिर अधिकारी के नाम से चैक काटते समय मन्दिर न्यास के लेखों में दर्शाया दिया जाता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त मन्दिर अधिकारी के खाते (खाता संख्या 190) में मन्दिर की प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य राशियाँ जमा की गई थी। इस बैंक खाते में मन्दिर न्यास की प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य राशियों को जमा नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस खाते को मन्दिर न्यास के अन्तिम लेखों में नहीं दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त यदि इस खाते बैंक द्वारा कोई ब्याज जमा किया जाता है तो उसे भी मन्दिर न्यास के दान निधि/चढ़ावा निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था ताकि ब्याज की प्राप्त आय को मन्दिर

न्यास की आय में सम्मिलित किया जा सके। मन्दिर अधिकारी के बैंक खाता संख्या 190 में दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान जमा अन्य प्राप्तियों एवं ब्याज की प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**बैंक खाते में जमा की तिथि**	**जमा राशि का विवरण**	**राशि**
1	22.1.15	खाता संख्या 190 में प्राप्त ब्याज	36222
2	1.7.15	खाता संख्या 190 में प्राप्त ब्याज	39740
3	6.1.16	खाता संख्या 190 में बैंक द्वारा जमा ब्याज	57230
4	7.4.16	खाता संख्या 190 में बैंक द्वारा जमा ब्याज	14898
5	30.5.16	अनिता सहगल दान राशि	9000
6	30.5.16	अनिता सहगल दान राशि	4500
7	14.6.16	ग्राम पंचायत चकमोह स्ट्रीट लाईट बिल	18000
8	21.6.16	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (मन्दिर न्यास) टयूशन फीस	145000
9	4.7.16	खाता संख्या 190 में बैंक द्वारा जमा ब्याज	28992
10	12.8.16	संजीव सूद दान राशि	1500
11	4.10.16	खाता संख्या 190 में बैंक द्वारा जमा ब्याज	29464
		कुल राशि	**384546**

मन्दिर अधिकारी के बैंक खाता संख्या 190 में जमा इन राशियों को अध्यक्ष मन्दिर न्यास के नाम से खोले गये दान एवं चढ़ावा राशि से सम्बन्धित खाते में हस्तांतरित करके जमा नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप उपरोक्त विवरणानुसार ₹384546 की प्राप्ति का लेखांकन मन्दिर न्यास के लेखों में नहीं किया गया। व मन्दिर न्यास की आय उपरोक्त राशि से कम दर्शाई गई।

इसके अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी के नाम से खोले गये उपरोक्त बैंक खाता संख्या 190 में दिनांक 31.12.2016 को ₹1429160.30 शेष थी। रोकड़ बही में इस राशि का कोई विवरण नहीं दिया गया है कि कितनी राशि मन्दिर न्यास की प्राप्तियों से सम्बन्धित है व कितनी राशि अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान हेतु पारित वाउचरों के विरूद्ध भुगतान हेतु शेष है। अतः वर्ष 2015–16 के दौरान मन्दिर न्यास की प्राप्तियों के विरूद्ध प्राप्त ₹384546 को शीघ्र मन्दिर न्यास के लेखों में हस्तांतरित किया जाए तथा उपरोक्त दर्शाये गये खाता संख्या 190 में दिनांक 31.12.2016 को शेष जमा राशि का विवरण तैयार करके मन्दिर न्यास की प्राप्तियों से जमा राशि को मन्दिर न्यास के लेखों में जमा किया जाये व अध्यक्ष मन्दिर

न्यास द्वारा पारित वाउचरों की भुगतान योग्य शेष राशि का शीघ्र सम्बन्धित को भुगतान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 मन्दिर न्यास में अनावश्यक रूप से बैंक खाते खोलना एवं मन्दिर निधि पर प्राप्त ब्याज की प्राप्त ₹1.15 लाख को मन्दिर न्यास लेखों में लेखांकन न करनाः–

मन्दिर न्यास चढ़ावा निधि से प्रतिवर्ष महन्त हिस्से, टिकेदारन हिस्से, सरकारी हिस्से व भण्डारी हिस्से का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त हिस्सेदारो को वर्ष 2014 व वर्ष 2015 की देय राशि को क्रमशः वर्ष 2015 व वर्ष 2016 में भुगतान हेतु मन्दिर अधिकारी के बैंक खाता संख्या 190 में जमा किया गया था।

दिनांक	चैक नं0	राशि (₹)
6.6.15	9082	3087000
13.6.2016	068080	3241350
	जोड़	**6328350**

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपरोक्त हिस्सेदारों के हिस्से के भुगतान हेतु दो अन्य बैंक खाते खोले गये थे जिनमें निम्न विवरणानुसार अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर अधिकारी खाता संख्या 190 में जमा उपरोक्त राशियों को आगामी भुगतान हेतु मन्दिर अधिकारी द्वारा निम्न विवरणानुसार जमा किया गया था।

क्र0सं0	खाते से भुगतान का विवरण	बैंक खाता संख्या	जमा की तिथि	चैक सं0	राशि (₹)
1	भण्डारी हिस्से से सम्बन्धित भुगतान हेतु बैंक खाता	20580100000083	28.9.15 22.6.16	45795 47667	578813 607753
2	महन्त हिस्से टिकेदारी हिस्से व सरकारी हिस्से के भुगतान हेतु बैंक खाता	20580100000169	28.9.15 22.6.16	45794 47768	2508187 2633597
				कुल	**6328350**

हिस्सेदारों के भुगतान हेतु खोले गये उपरोक्त बैंक खातों से सम्बन्धित रोकड़ बहियों को तैयार नहीं किया गया था। उपरोक्त खातों से सम्बन्धित हिस्सेदारों को चैकों द्वारा भुगतान किया गया था व चैक के माध्यम से भुगतान प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जा रही थी।

उपरोक्त विवरणानुसार पहले अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा हिस्सेदारों के भुगतान से सम्बन्धित राशि मन्दिर अधिकारी के खाते में जमा की गई उसके पश्चात मन्दिर अधिकारी द्वारा हिस्सेदारों के भुगतान हेतु खोले गये अन्य बैंक खातों में वही राशि आगे भुगतान करने हेतु जमा की गई उसके पश्चात सम्बन्धित हिस्सेदारों को भुगतान किया गया। इस तरह की प्रक्रिया से सम्बन्धित व्यक्तियों को अत्याधिक देरी से भुगतान किए जा रहे है। वर्ष 2015 में अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 6.6.2015 को ₹3087000 मन्दिर अधिकारी के खाते में हिस्सेदारों को भुगतान करने हेतु जमा की गई मन्दिर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित हिस्सेदारों को शीघ्र भुगतान करने के बजाय इस राशि को लगभग 3 महीने 22 दिन के पश्चात दिनांक 28.9.2015 को इस राशि को अनय बैंक खाते में जमा किया गया।

उपरोक्त बैंक खातों में बैंक द्वारा 2015 व 2016 के दौरान ब्याज जमा किया गया था निम्नविवरणानुसार इन बैंक खातों में बैंक द्वारा ₹115309 की ब्याज प्राप्ति की राशि जमा की गई थी इस राशि को मन्दिर न्यास के दान निधि/चढ़ावा निधि में जमा नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास की आय उपरोक्त राशि से कम दर्शाई गई है।

हिस्सेदारों के भुगतान हेतु खोले गये उपरोक्त बैंक खातों में दिनांक 31.12.2016 को निम्नानुसार ₹1256871.41 शेष थी। इस राशि का कहीं भी कोई विवरण नहीं था कि कितनी राशि किन हिस्सेदारों की भुगतान हेतु शेष है व कितनी राशि बैंक द्वारा ब्याज की जमा की गई है।

क्र0सं0	**बैंक खाता सं0**	**31.12.16 को खाते में शेष राशि**
1	20580100000169	1040079.41
2	20580100000083	215792.00
	कुल राशि	**1256871.41**

अतः उपरोक्त शेष राशियों का विस्तृत विवरण तैयार करके हिस्सेदारों की भुगतान योग्य राशि का तुरन्त सम्बन्धित हिस्सेदारों को भुगतान किया जाए जिन राशियों का भुगतान नहीं किया जाना है उन राशियों को तुरन्त मन्दिर के लेखों में जमा किया जाए तथा उपरोक्त खातों में बैंक द्वारा जमा ब्याज को भी मन्दिर लेखों में जमा किया जाए।

14 उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध द्वारा मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को अनियमित रूप से अपने कार्यालयों में तैनात करके मन्दिर न्यास को ₹112.64 लाख की हानिः–

उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास व उप–मण्डलाधिकारी बडसर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोट सिद्ध द्वारा वर्ष 2015 व 2016 के दौरान मन्दिर न्यास श्री बाबा बलक नाथ जी दियोट सिद्ध के कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में तैनात किया गया था। इन कर्मचारियों को वेतन व भत्तों के रूप में वर्ष 2015 व 2016 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹11264227 का भुगतान किया गया था कर्मचारी वार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ" व "ज"** पर दिया गया है।

क्र0सं0	**कार्यालय का किराया**	**वर्ष 2015 के दौरान व्यय**	**वर्ष 2016 के दौरान व्यय**	**कुल व्यय**
1	उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के कार्यालय हमीरपुर तैनात	2614443	2797818	5412261
2	उप–मण्डलाधिकारी बडसर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास के बडसर कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर व्यय	2782599	3069367	5851966

उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास व उप–मण्डलाधिकारी बडसर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को अनियमित रूप से अपने कार्यालयों मे तैनात किया गया था। उपायुक्त हमीरपुर एवं उप–मण्डलाधिकारी कार्यालय में मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की अनियमित रूप से तैनाती करने पर मन्दिर न्यास को उपरोक्त विवरणानुसार ₹11264227 की हानि हुई है। उपरोक्त मामला मुख्य आयुक्त मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (LAC) के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

15 ₹61.17 लाख जमा करने के सम्बन्ध में सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, शिमला द्वारा श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध के विरूद्ध आदेश पारित करने बारेः–

सहायक भविष्य निधि आयुक्त एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कुसुम्पटी शिमला–9 के आदेश संख्या RO/SML/DMG/1642/7340 दिनांक 20 जुलाई 2015 द्वारा मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध Employes Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों की अनुपालना न करने पर ₹6116874 जमा करने हेतु आदेश पारित किए गये थे।

मन्दिर न्यास द्वारा अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिमाह जमा किया जाना अपेक्षित था। लेकिन मन्दिर न्यास के आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनदेखी करके मन्दिर न्यास के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अवधि 3/1998 से 4/2008 तक का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता हिस्सा भविष्य निधि संगठन में प्रतिमाह जमा नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप सहायक भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शिमला–9 द्वारा मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के विरूद्ध ₹6116874 जमा करने हेतु आदेश पारित किए गए है। उपरोक्त राशि के विरूद्ध मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध जिला हमीरपुर द्वारा उपरोक्त राशि का 40 प्रतिशत भाग ₹2446750 ड्राफ्ट संख्या 009088 दिनांक 1.9.2015 द्वारा सहायक भविष्य निधि आयुक्त एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कुसुम्पटी, शिमला–9 में जमा किया गया है।

उपरोक्त मामला मुख्य आयुक्त मन्दिर एवं सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

16 कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 खातों में ₹50.44 लाख को अनियमित रूप से जमा करनाः–

उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध के पत्र क्रमांक टी0ए0–1/समिति रिपोर्ट/हमीर/2014/467 दिनांक 21.2.2014 द्वारा कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा हेतु गठित उप–समिति एवं मन्दिर न्यास के अनुमोदन

के आधार पर न्यास कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 न्यास हिस्सें की कटौती के लिए ₹35000 की सीलिंग (सीमा) निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार कर्मचारियों के मूल वेतन व महंगाई भत्ते की अधिकतम ₹35000 पर ई0पी0एफ0 न्यास हिस्से की गणना 12 प्रतिशत प्रतिमाह करके माह जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के दौरान भुगतान किया गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार कार्यालय भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या Actuarid/18(2) 2008/Vol III दिनांक 28.8.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ई0पी0एफ0 न्यास हिस्से का भुगतान दिनांक 1.9.2014 से मूल वेतन पर 12 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹15000 पर गणना करके ₹1800 प्रतिमाह अधिकतम भुगतान किया जाना अपेक्षित था। दिनांक 1.9.2014 से पहले यह सीमा मूल वेतन अधिकतम ₹6500 तथा न्यास हिस्से की 12 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा ₹780 थी।

Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment Act 1984 में वर्ष 2007 में किए गये संशोधन के अनुसार आयुक्त मन्दिर मन्दिर न्यास कर्मचारियों को इस तरह का लाभ प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं थे। मन्दिर न्यास कर्मचारियों को इस तरह का लाभ प्रदान करने हेतु मुख्य आयुक्त मन्दिर न्यास एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (LAC) हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था।

उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोट सिद्ध द्वारा अपने पत्र संख्या TA-1/EPF/2015 दिनांक 31.7.2015 द्वारा ई0पी0एफ0 न्यास हिस्से की गणना हेतु उपरोक्त निर्धारित सीमा को ₹35000 को कम करके ई0पी0एफ0 नियमों के अनुसार ₹15000 किया गया था तथा माह अगस्त 2015 के पश्चात मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। लेकिन माह जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के दौरान अधिक भुगतान राशि की वसूली नहीं की गई है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कर्मचारियों के न्यास हिस्से की गणना अधिकतम वेतन ₹35000 पर ₹4200 की गई थी लेकिन आयुक्त ई0पी0एफ0 व न्यास हिस्से का भुगतान करते समय कर्मचारियों के न्यास हिस्से की राशि अधिकतम ₹1800 ही दर्शाई गई थी तथा ₹2400 (₹4200 न्यास हिस्से की अधिकतम गणना की गई राशि (–) ₹1800 न्यास हिस्से की वास्तविक भुगतान दर्शाई गई राशि) की राशि कर्मचारियों से ई0पी0एफ0 की माह वार वसूली गई राशि में जमा करके प्रतिमाह कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 खातों में जमा

की गई थी। कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 खातों में माह जुलाई 2014 से माह जुलाई 2015 के दौरान ई0पी0एफ0 न्यास हिस्से की गणना मूल वेतन ₹15000 पर गणना करने के स्थान पर मूल वेतन+महंगाई भत्ता ₹35000 अधिकतम पर गणना करने के फलस्वरूप **परिशिष्ट "झ"** पर दिये गये विवरणानुसार ₹5044044 अनियमित रूप से जमा की गई। ई0पी0एफ0 खातों मे अनियिमत रूपे से जमा राशि पर न्यास कर्मचारी ब्याज भी प्राप्त कर रहे है। अतः मन्दिर न्यास कर्मचारियों को माह जुलाई 2014 से माह जुलाई 2015 के दौरान अनियमित रूप से जमा राशि का मुख्य आयुक्त मन्दिर न्यास एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (LAC) से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितीकरण करवाया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 171 दिनांक 3.3.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यान में लाया गया था लेकिन मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

17 ₹23.54 लाख पैनेलटी/ब्याज का भुगतान आयकर विभाग को आयकर रिर्टन समय पर न भरने एवं आयकर का समय पर भुगतान न करने के कारण करनाः–

मन्दिर न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मन्दिर न्यास लेखों से सम्बन्धित आयकर रिर्टन समय पर नहीं भरी गई थी न ही आयकर का आयकर विभाग को समय पर भुगतान किया गया था। जिसके फलस्वरूप आयकर विभाग को मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹2534427 पैनेलटी/ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

क्र0सं0	वित्त वर्ष	आयकर की देय राशि (₹)	सैस (₹)	पैनेलटी/ब्याज (₹)	कुल राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि
1	2006–07	394880	11846	146421	553147	16.4.16	553147
2	2007–08	4224300	126729	1522851	5873880	29.12.16	5873880
3	2009–10	3460620	865155	865155	5190930	16.10.16	1297732
						29.12.16	1297723
						30.03.17	2595465
	जोड़	**4959800**	**973730**	**2534427**	**11617957**		**11617947**

मन्दिर न्यास की आयकर रिटर्न समय पर न भरने के कारण मन्दिर न्यास को आयकर पर पैनेल्टी एवं ब्याज का भुगतान करने के फलस्वरूप हुई हानि ₹2534427 बारे मामला चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त भविष्य में मन्दिर न्यास लेखों से सम्बन्धित आयकर रिटर्न समय पर भरी जानी भी सुनिश्चित की जाये ताकि मन्दिर न्यास अनावश्यक हानि से बच सके।

18 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ श्री दियोटसिद्ध की मटठ पानी योजना स्कीम के बन्द होने पर बिजली मीटरों को बन्द (Disconnect) न करवाने पर मन्दिर न्यास को ₹5.50 लाख की हानि/विद्युत परिषद को अनुचित भुगतानः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध की मटठ पानी स्कीम वर्ष 2011 में बन्द हो गई थी। इस पानी की स्कीम में मन्दिर न्यास द्वारा तीन बिजली के मीटर लगवाये गये थे। इन बिजली मीटरों से सम्बन्धित बिजली बिल भुगतान रजिस्टर के अनुसार माह 9/2011 के पश्चात इन मीटरों में बिजली को कोई भी खपत नहीं हुई थी। मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या 4152/खवनम/स्था0/2017 दिनांक 14.2.2017 के अनुसार भी उपरोक्त मटठ पानी स्कीम माह 9/2011 से बन्द दर्शाई गई थी। उपरोक्त मटठ पानी स्कीम के तीनों बिजली मीटरों को विद्युत विभाग से माह 7/2015 में Disconnect करवाया गया था। मटठ पानी स्कीम के माह 9/2011 में बन्द होने से माह 7/2015 तक नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान किया जाता रहा जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। मन्दिर न्यास मटठ पानी योजना के बन्द होने के पश्चात से मटठ पानी योजना से सम्बन्धित बिजली मीटरों को न कटवाने के कारण व अनुचित रूप से विद्युत विभाग को 9/2011 से 7/2015 तक भुगतान किए जाने के कारण मन्दिर न्यास को निम्न विवरणानुसार ₹550105 की हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। बिजली मीटरों को पानी योजना के बन्द हो जाने पर तुरन्त न कटवाने के कारण मन्दिर न्यास अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹550105 की हानि बारे चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये मन्दिर न्यास को हुई हानि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए उपरोक्त मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	विद्युत मीटर संख्या/भुगतान रजिस्टर पृ0सं0	भुगतान की अवधि	भुगतान राशि (₹)
1	एम एस–2 मटठ पम्प हाऊस भुगतान रजिस्टर पृ0सं0 83 181 व 66	9/2011 से 7/2015	507254
2	डी0 टी0/वाटर सप्लाई स्कीम मटठ स्टेज I भुगतान रजिस्टर पृ0 संख्या 80, 81, 72	9/2011 से 7/2015	3674
3	डी0टी0 वाटर सप्लाई स्कीम I-3 मटठ स्टेज 2 बिजली भुगतान रजिस्टर पृ0सं0 154, 155 व 114	9/2011 से 7/2015	39177
		कुल	**₹550105**

19 (क) मन्दिर अधिकारियों से सरकारी आवास से सम्बन्धित बिजली बिलों की वसूली ₹0.91 लाख न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध में मन्दिर अधिकारी के ठहरने हेतु आवास का निर्माण किया गया है। यह आवास मन्दिर अधिकारियों द्वारा ही उपयोग किया जाता है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 1.1.2010 से 31.12.2016 के दौरान मन्दिर अधिकारी निवास से सम्बन्धित ₹91309 के बिजली बिलों का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया गया है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ञ"** पर दिया गया है। जिन मन्दिर अधिकारियों से इस राशि की वसूली की जानी है उनका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	मन्दिर अधिकारी का नाम	राशि
1	श्री मदन लाल शर्मा	2093
2	श्री सूरज प्रकाश सोनी	40759
3	श्री सुरेश पटियाल	17524
4	श्री सुखदेव सिंह ठाकुर	16893
5	श्री ईश्वर दास	14040
	कुल	**₹91309**

मन्दिर अधिकारियों द्वारा रिहायसी मकान का उपयोग करने के पश्चात बिजली बिलों का भुगतान न करना चिन्ता का विषय है। इस तरह के प्रकरणों से मन्दिर अधिकारियों की कार्यप्रणाली सन्देहास्पद प्रतीत होती है। मन्दिर अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास के बिजली बिलों का भुगतान मन्दिर न्यास न्यास निधि से करना व बिजली बिल की राशि की सम्बन्धित

मन्दिर अधिकारी से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त उपरोक्त ₹91309 की सम्बन्धित मन्दिर अधिकारियों से वसूली सुनिचित की जाए। यह मामला उच्चधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) मन्दिर अधिकारियों के वेतन व भत्तों का भुगतान निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग को पूरे वर्ष का एक मुश्त किया जा रहा था। लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा मन्दिर अधिकारियों को किए गये वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि मन्दिर अधिकारियों को किन भत्तों का भुगतान किया गया था। अतः मन्दिर अधिकारियों को उपरोक्त अवधि 1.1.2010 से 31.12.2016 के दौरान किये गये वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाए यदि इन मन्दिर अधिकारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान किया गया हो तो इन मन्दिर अधिकारियों से भुगतान किए गये मकान किराये भत्ते की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) मन्दिर अधिकारी आवास के दिनांक 1.1.2010 से पूर्व अवधि के मन्दिर न्यास निधि से भुगतान किए बिजली बिलों का अपने स्त्तर पर विवरण तैयार करके सम्बन्धित मन्दिर अधिकारियों से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित मन्दिर अधिकारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है।

20 ग्राम पंचायत चकमोह की स्ट्रीट लाईट के बिजली बिलों के भुगतान स्वरूप ₹0. 88 लाख का मन्दिर निधि से अनुचित व्ययः—

मन्दिर न्यास द्वारा ग्राम पंचायत चकमोह में स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिलों का भुगतान पूर्व वर्षों से किया जा रहा है जिसके बारे पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे भी आपत्ति उठाई गई है लेकिन मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2015 व वर्ष 2016 के दौरान ग्राम पंचायत चकमोह के बिजली बिलों के भुगतान पर ₹99552 का व्यय किया गया था जिसमें से ₹6000 प्रतिवर्ष की दर से ₹12000 मन्दिर न्यास में ग्राम पंचायत चकमोह द्वारा जमा किया गया था तथा शेष ₹87552 (₹99552—₹12000) का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	बिजली मीटर सं0	वर्ष 2015 में भुगतान की गई	वर्ष 2016 में भुगतान की गई	कुल राशि (₹)

		कुल राशि (₹)	कुल राशि (₹)	
1	DS-IA-SLSBR 100006000115	16858	11881	28739
2	DS-IA-SLSBR 100006000117	17318	14014	31332
3	DS-IA-SLSBR 100006000118	8600	9395	17995
4	DS-IA-SLSBR 100006000120	10774	10712	21846
			जोड़	99552
	वर्ष 2015 व वर्ष 2016 के दौरान पंचायत चकमोह द्वारा जमा राशि			₹12000
	मन्दिर न्यास निधि से भुगतान की गई			₹87552

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध द्वारा दिनांक 29.11.99 की बैठक में मद संख्या एक द्वारा निर्णय लिया गया था कि मन्दिर न्यास निधि से ग्राम पंचायत चकमोह की स्ट्रीट लाईट के बिलों का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया जाए। जिसमे से ₹6000 प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत चकमोह द्वारा जमा की जायेगी शेष खर्चो न्यास वहन करेगा तथा यह निर्णय आगामी पाँच वर्ष तक मान्य होगा इसके पश्चात इस निर्णय का पुर्नावलोकन करके व्यय बारे पुनः निर्धारण अपेक्षित था।

अतः उपरोक्त विवरणानुसार मन्दिर न्यास निधि से ग्राम पंचायत चकमोह की स्ट्रीट लाईट के बिलों के रूप में ₹87552 का अनुचित व्यय करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त मन्दिर न्यास के दिनांक 29.11.99 के निर्णय का पुर्नावलोकन करके व्यय को नियमित किया जाए।

21 श्री विपिन कुमार पुजारी को वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.54 लाख का अधिक भुगतानः—

श्री विपिन कुमार पुजारी की सेवा पुस्तिका के अनुसार उन्हें दिनांक 1.4.2012 को गलती से दो वेतन वृद्धियाँ प्रदान की गई थी। श्री विपिन कुमार पुजारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित व भुगतान किया गया था।

दिनांक	वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त निर्धारित वेतन+ग्रेड पे	कुल वेतन
1.4.2011	11020+2800	13820
1.4.2012	11440+2800	14240
1.4.2012	11870+2800	14670
1.4.2013	12310+2800	15110
1.4.2014	12770+2800	15570
1.4.2015	13240+2800	16040
1.4.2016	13730+2800	16530

दिनाँक 1.4.2012 को श्री विपिन कुमार पुजारी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 30.6.2017 तक **परिशिष्ट "ट"** पर दिये गये विवरणानुसार ₹53942 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यान में लाया गया था लेकिन मन्दिर अधिकारी कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ मे कोई कार्रवाई नहीं की गई जोकि चिन्ता का विषय है। अतः श्री विपिन कुमार पुजारी का दिनांक 1.4.2012 से पुनः वेतन निर्धारित करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली व भविष्य में सही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 ₹0.36 लाख का अनुचित भुगतानः–

श्री प्रकाश चन्द सेवादार संस्कृत कालेज चकमोह के माह मार्च 2015 देय माह अप्रैल 2015 के वेतन का भुगतान अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के साथ मन्दिर न्यास द्वारा चैक संख्या 45648 दिनांक 1.4.2015 ₹76385 द्वारा किया गया था वेतन के साथ श्री प्रकाश चन्द को निम्न विवरणानुसार ₹35980 का भुगतान दिनांक 1.1.1993 से 31.12.1995 तक के वेतन निर्धारण के रूप में किया गया था।

क्र0सं0	अवधि	राशि (₹)
1	1.1.1993 से 31.12.1993	9744
2	1.1.1994 से 31.12.1991	11197
3	1.1.1995 से 31.12.1995	15039
	कुल राशि	**35980**

उपरोक्त वेतन निर्धारण की बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित आदेश जिनके आधार पर बकाया राशि की गणना की गई है, अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये न ही वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका में कोई प्रविष्टि पाई गई।

उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध के पत्र क्रमांक टी0ए0–1/समिति रिपोर्ट/हमीर/2014/467 दिनांक 21.2.2014 द्वारा कर्मचारियों की मांगों हेतु गठित उप–समिति एवं मन्दिर न्यास क अनुमोदन के आधार पर कर्मचारियों को 1.1.1993 से 31.12.1995 तक के बकाया वेतन का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institution and Chartiable Endowments Act 1984 में वर्ष 2007 में किए गए संशोधन के अनुसार आयुक्त

मन्दिर मन्रि न्यास कर्मचारियों को इस तरह का लाभ प्रदान करने हेतु सक्षम थे। मन्दिर न्यास कर्मचारियों को इस तरह का लाभ प्रदान करने से पूर्व मुख्य आयुक्त मन्दिर न्यास एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (LAC) हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना श्री प्रकाश चन्द सेवादार एवं अन्य मन्दिर न्यास कर्मचारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। लगभग 22 वर्ष की अवधि के पश्चात सरकार की किसी पालिसी के बिना व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना मन्दिर न्यास कर्मचारियों को अनयमित रूप से अनुचित लाभ पहुँचाया जाना चिन्ता का विषय है।

श्री प्रकाश चन्द के अतिरिक्त अन्य न्यास कर्मचारियों को भी वर्ष 2014 में उपरोक्त आदेशों के अर्न्तगत लाभ प्रदान किया गया है लेकिन किसी भी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। श्री प्रकाश चन्द को उपरोक्त ₹35980 का भुगतान करते समय देय वेतन एवं पूर्व में भुगतान वेतन से सम्बन्धित कोई गणना भी नहीं की गई थीं। उपरोक्त दर्शाया गया विवरण वाउचर के साथ संलगन करके भुगतान किया गया था। कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किए बिना वेतन की बकाया राशि के भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अतः उपरोक्त मामले में श्री प्रकाश चन्द सेवादार एवं मन्दिर न्यास के अन्य कर्मचारियों को दिनांक 1.1.1993 से 31.12.1995 तक भुगतान बकाया राशि के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किए गये भुगतान का नियमितीकरण करवाया जाए। अन्यथा मन्दिर न्यास कर्मचारियों को 1.1.1993 से 31.12.1995 तक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किए गये प्रवक्ताओं को नोशनल आधार पर प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धियों का गलत तरीके से वित्तीय लाभ देने पर ₹0.09 लाख का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डा0 विशाल सहायक प्रवक्ता जीव विज्ञान तथा डा0 शशिबाला सहायक प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान को दिनांक 1.12.2009 से अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया था। उक्त प्रवक्ताओं को उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के कार्यालय पत्र संख्या 601/टी0ए0/हमीरपुर दिनांक 30.7.2014 द्वराा अवधि 1.12.2009 से यूजीसी वेतनमान ₹15600+6000 ग्रेड पे में नोशनल आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान

करके दिनांक 1.7.2014 से वित्तीय लाभ प्रदान करने पर उनका वेतन गलत तरीके से निर्धारित किया गया। जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12. 2014 के पैरा 20 में भी दिया गया है। पैरे में दर्शाई गई अधिक भुगतान ₹5900 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 8/2016 के वेतन से कर दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। इन कर्मचारियों का उपरोक्त में दिये सुझाव अनुसार पुनः वेतन निर्धारित करके भुगतान नहीं किया गया जिसके अभाव में दिनांक 1.1.2015 से 30.1.2017 तक पुनः निम्न विवरणानुसार ₹9436 का अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरXमाह	अधिक भुगतान
	बैंड पे	ग्रेड पे	जोड़	बैंड पे	ग्रेड पे	जोड़		
1.11.15 से 30.11.15	18840	6000	24840	19050	6000	25050	210x1	210
1.12.15 से 30.11.16	19488	6000	25488	19810	6000	25810	322x12	3864
1.12.16 से 31.1.17	20136	6000	26136	20458	6000	26458	322x2	644
							कुल राशि	**4718**

दिनांक 31.1.17 तक अधिक भुगतान की राशि

(1)	डा0 विशाल शर्मा	₹4718
(2)	डा0 शशिबाला	₹4718
	कुल	**₹9436**

उपरोक्त के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.17 द्वारा आपत्ति उठायें जाने पर नियमानुसार वेतन निर्धारित करके माह फरवरी 2017 से उन्हें सही वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा उपरोक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई ₹9436 की सम्बन्धित कर्मचारियों के माह फरवरी 2017 के वेतन से वसूली कर ली गई है जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई।

24 वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना, गलत वेतन निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के कारण मन्दिर न्यास कर्मचारियो को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने एवं कर्मचारियों को किए गये वेतन भुगतान की जाँच करने पर ₹8821 के अधिक भुगतान के मामले पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) श्री अमर सिंह चौकीदार का वेतन दिनांक 30.9.2016 को ₹9110+₹1650=₹10760 था दिनांक 1.10.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके श्री अमर सिंह का वेतन ₹9450+1650=₹11100 निर्धारित किया गया। जबकि नियमानुसार 1.10.2016 को वार्षिक

वेतन वृद्धि प्रदान करके उनका वेतन ₹9440+1650=₹11090 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। श्री अमर सिंह का वेतन 1.10.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके ₹11090 के स्थान पर ₹11100 निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹207 का अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि	**देय राशि**			**भुगतान राशि**			**अन्तरxमाह**	**अधिक भुगतान**
	वेतन	**महंगाई भत्ता**	**जोड़**	**वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**योग**		
1.10.16 से 31.12.16	11090	14084	25174	11100	14097	25197	23x3	69
1.1.17 से 30.6.17	11090	14417	25507	11100	14430	25530	23x6	138
								207

₹207 की वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 4789 दिनांक 1.7.2017 द्वारा कर दी गई हैं जिसकी पुष्टि कर ली गई।

24.2 श्री हंसराज लंगर हैल्पर का वेतन दिनांक 1.7.2015 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके ₹7590+1650=₹9240 निर्धारित किया गया था जबकि वेतन रजिस्टर के अनुसार उन्हें ₹7610+1650=9260 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया था ₹9240 वेतन के स्थान पर ₹9260 प्रतिमाह भुगतान करने फलस्वरूप श्री हसंराज को 1.7.2015 से 30.6.2016 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹528 का अअधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

अवधि	**देय राशि**			**भुगतान किया वेतन**			**अन्तरxमाह**	**अधिक भुगतान**
	मूल वेतन	**महंगाई भत्ता**	**जोड़**	**मूल वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**जोड़**		
1.7.15 से 31.12.15	9240	10996	20236	9260	11019	20279	43x6	258
1.1.16 से 30.6.16	9240	11550	20790	9260	11575	20835	45x6	270
							कुल राशि	**528**

24.3 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में कार्यरत्त श्रीमती कमला देवी सेवादार का वेतन दिनांक 31.12.15 को ₹10010+1650=11660 था। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके दिनांक 1.1.2016 को उसका वेतन ₹10370+1650=12020 निर्धारित किया गया था जबकि 1.1.2016 को श्रीमती कमला देवी का वेतन ₹10360+1650=12010 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। श्रीमती कमला देवी सेवादार का वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि के

उपरान्त दिनांक 1.1.2016 को ₹12010 के स्थान पर ₹12020 निर्धारित किए जाने के कारण उनको निम्न विवरणानुसार ₹264 का अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरXमाह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड		
1.1.16 से 31.12.16	12010	15013	27023	12020	15025	27045	22x12	264

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.17 द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर अधिक भुगतान की गई ₹264 की माह फरवरी 2017 के वेतन से वसूली कर ली गई है।

24.4 श्री लौका राम सफाई कर्मचारी का वेतन दिनांक 31.12.2015 को ₹10030+1650=11680 था 1.1.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके उनका वेतन ₹10390+1650=12040 निर्धारित किया गया था जबकि 1.1.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके उनका वेतन ₹10380+1650=12030 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। दिनांक 1.1.2016 को श्री लौका राम का वेतन ₹12030 के स्थान पर ₹12040 निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप उनको निम्न विवरणानुसार 1.1.2016 से 31.12.2016 तक ₹264 का अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरXमाह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड		
1.1.16 से 31.12.16	12030	15038	27068	12040	15050	27090	22x12	264

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.17 द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर श्री लौका राम को अधिक भुगतान की गई ₹264 की उनके माह फरवरी 2017 के वेतन से वसूल कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

24.5 श्रीमती पवना देवी प्रवक्ता लोक प्रशासन मन्दिर न्यास महाविद्यालय चकमोह को दिनांक 1.4.2012 से गलत उच्च वेतन मान प्रदान किया गया था। जिसका विवरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 1.1.2013 से 31.12.2014 के पैरा संख्या 16 में दिया गया है। गलत प्रदान उच्च वेतनमान को दिनांक 1.8.2015 से वापिस ले लिया गया था। 1.8.2015 को श्रीमती पवना देवी का वेतन ₹23030+6000=29030 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जबकि 1.8.2015 को उनका वेतन ₹23070+6000=29070 निर्धारित किया गया था। दिनांक 1.8.2015 को श्रीमती

पवना देवी का वेतन ₹29030 के स्थान पर ₹29070 निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1.8.2015 से 31.1.2017 तक निम्न विवरणानुसार ₹1743 का अधिक भुगतान किया गया।

अवधि	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरxमाह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड		
1.8.15 से 31.12.15	29030	34546	63576	29070	34593	63663	87x5	435
1.1.16 से 31.7.16	29030	36288	65318	2900	36338	65408	90x7	630
1.8.16 से 31.1.17	29900	37375	67275	29950	37438	67388	113x6	678
							कुल राशि	1743

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर अधिक भुगतान ₹1743 की माह फरवरी 2017 के वेतन से वसूली कर ली गई है जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई।

24.6 श्री राजीव संख्यान प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा को मन्दिर न्यास द्वारा अनुचित रूप से उच्च वेतन मान प्रदान किया गया था जिसका विवरण 1.1.2013 से 31.12.2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 16 में दिया गया है। अनुचित रूप से स्वीकृति उच्च वेतनमान को वापिस ले लिया गया था तथा उनका वेतन पुनः निर्धारित किया गया था। पुनः निर्धारित वेतन में दिनांक 1.8.2015 को वार्षिक वृद्धि प्रदान करते समय उनका वेतन पुनः गलत निर्धारित किया गया। दिनांक 1.8.2015 को वेतन ₹22180+6000=28180 व 1.8.2016 को वेतन ₹23030+6000=29030 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जबकि दिनांक 1.8.2015 को उनका वेतन ₹22220+6000=28220 व 1.8.2016 को ₹23070+6000=29070 निर्धारित किया गया था। गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री राजीव संख्यान को दिनांक 1.9.2015 से 31.1. 2017 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹1522 का अधिक भुगतान किया गया है। माह 8/2015 के दौरान किए गये अधिक भुगतान की गणना अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 16 में कर ली गई है।

अवधि	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरxमाह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड		
1.9.15 से 31.12.15	28180	33534	61714	28220	33582	61802	88x4	352
1.1.16 से 31.7.16	28180	35225	63405	28220	35275	63495	90x7	630
1.8.16 से 31.1.17	29030	336288	65318	29070	36338	65408	90x6	540
							कुल	₹1522

अंकेक्षण के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर अधिक भुगतान ₹1522 की माह 2/2017 के वेतन से वसूली कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

24.7 श्रीमती परमजीत कौर सहायक प्रवकता कामर्स को गलत वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 1.1.2013 से 31.12.2014 के पैरा संख्या 19 में आपत्ति उठाई गई थी। पैरे अनुसार अधिक भुगतान राशि की माह 8/2015 के वेतन से वसूली कर ली गई थी। लेकिन 9/2015 के वेतन में पुनः गलत वेतन निर्धारण करके भुगतान किया जा रहा है। श्रीमती परमजीत कौर का दिनांक 1.9.2015 को वेतन ₹17590+6000=23590 व 1.9.2016 को वेतन ₹18300+6000=₹24300 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जबकि उनका वेतन दिनांक 1.9. 2015 को ₹17610+6000=23610 व दिनांक 1.9.2016 को ₹18320+6000=₹24320 निर्धारित किया गया था गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्रीमती परमजीत कौंर को दिनांक 1.9. 2015 से 31.1.2017 के दौरान ₹761 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	**देय राशि**			**भुगतान राशि**			**अन्तरxमाह**	**अधिक भुगतान**
	मूल वेतन	**महंगाई भत्ता**	**जोड़**	**मूल वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**जोड**		
1.9.15 से 31.12.15	23590	28072	51662	23610	28096	51706	44x4	176
1.1.16 से 31.8.16	23590	29488	53078	23610	29513	53123	45x8	360
1.9.16 से 31.1.17	24300	30375	54675	24320	30400	54720	45x5	225
							कुल राशि	**761**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.2017 द्वारा आपत्ति उटायें जाने पर माह फरवरी 2017 के वेतन से उपरोक्त अधिक भुगतान ₹761 की वसूली कर दी गई है।

24.8 श्रीमती नीलम कुमारी (जे बी टी) अध्यापक का वेतन 31.5.2016 को ₹16370+4200=₹20570 था। दिनांक 1.6.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके उनका वेतन ₹16870+4200=21070 निर्धारित किया गया था जबकि 1.6.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त उनका वेतन ₹16990+₹4200=₹21190 निर्धारित किया जाना था। श्रीमती नीलम कुमारी को वेतन रजिस्टर के अनुसार माह 6/2016 से 10/2016 तक मूल वेतन ₹21070 के अनुसार भुगतान किया गया था तथा माह 11/2016 व 12/2016 के दौरान उन्हें

₹17610+4200=₹21810 वेतन के अनुसार भुगतान किया गया था इसके पश्चात माह 1/2017 से उन्हें मूल वेतन ₹16990+₹4200=₹21190 के अनुसार भुगतान किया गया है। उपरोक्त अनियमितता के कारण श्रीमती नीलम कुमारी को माह 6/2016 से 12/2016 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹1440 का अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि	**देय राशि**			**भुगतान राशि**			**अन्तरxमाह**	**अधिक भुगतान**
	मूल वेतन	**महंगाई भत्ता**	**जोड़**	**मूल वेतन**	**महंगाई भत्ता**	**जोड**		
1.6.16 से 31.10.16	21190	26488	47678	21070	26338	47408	(-)270x5	(–)1350
1.11.16 से 31.12.16	21190	26488	47678	21810	27263	49073	139x2	2790
							कुल राशि	**1440**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.2017 द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर मन्दिर न्यास कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अधिक भुगतान ₹1440 की माह फरवरी 2017 के वेतन से वसूल कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

24.9 श्री कुलदीप सिंह व श्री अमर नाथ लेबोरेटरी परिचरों का वेतन दिनांक 31.12.2014 को ₹11740+₹1950=₹13690 था। दिनांक 1.1.15, 1.1.16 व दिनांक 1.1.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान करके इनका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया गया था।

दिनांक	**वेतन निर्धारण**
1.1.2015	₹11740+₹420=₹12160+₹1950=₹14110
1.1.2016	₹12160+₹430=₹12590+₹1950=₹14540
1.1.2016	₹12590+₹440=₹13030+₹1950=₹14980

जबकि उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन 1.1.2015, 1.1.2016 व 1.1.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके निम्नानुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था।

दिनांक	**वेतन निर्धारण**
1.1.2015	₹11740+₹410=₹12150+₹1950=₹14100
1.1.2016	₹12150+₹430=₹12580+₹1950=₹14530
1.1.2017	₹12580+₹440=₹13020+₹1950=₹14970

उपरोक्त कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते समय गलत वेतन निर्धारित करने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹1088 का अधिक भुगतान किया गया है।

अवधि/माह	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरxमाह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड		
1/2015 से 6/2015	14100	15933	30033	14110	15944	30054	21x6	126
7/2015 से 12/2015	14100	16779	30879	14110	16791	30901	22x6	132
1/2016 से 12/2016	14530	18163	32693	14540	18175	32715	22x12	264
1/2017	14970	18713	33683	14980	18725	33705		22
							कुल राशि	**544**
	अधिक भुगतान राशि							
	1	श्री कुलदीप सिंह			₹544			
	2	श्री अमर सिंह			₹544		**कुल राशि**	**₹1088**

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था मन्दिर अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन पुनः निर्धारित करके माह फरवरी 2017 से सही भुगतान करना शुरू कर दिया गया तथा अधिक भुगतान ₹1088 की सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 2/2017 के वेतन से वसूल कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

24.10 श्री सुरेश कुमार व श्री हरदीप लेबोरेटरी परिचरों का वेतन दिनांक 28.2.2015 के ₹10740+₹1950=₹12690 था इनका वेतन दिनांक 1.3.215 व 1.3.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया थाः–

दिनांक	निर्धारित वेतन
1.3.2015	₹10740+₹390=₹11130+₹1950=₹13080
1.3.2016	₹11130+₹400=₹11530+₹1950=₹13480

जबकि उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करे दिनांक 1.3.2015 व 1.3.2016 के नियमानुसार निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना अपेक्षित था।

दिनांक	निर्धारित वेतन
1.3.2015	₹10740+₹380=₹11120+₹1950=₹13070
1.3.2015	₹11120+₹400=₹11520+₹1950=₹13470

उपरोक्त कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते समय गलत वेतन निर्धारित करने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹1004 का अधिक भुगतान किया गया हैः–

अवधि / माह	देय राशि			भुगतान राशि			अन्तरxमाह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़		
3 / 2015 से 6 / 2015	13070	14769	27839	13080	14780	27860	21x4	84
7 / 2015 से 12 / 2015	13070	15553	28623	13080	15565	28645	22x6	132
1 / 2016 से 2 / 2016	13070	16338	29408	13080	16350	29430	22x2	44
3 / 2016 से 2 / 2017	13470	16838	30308	13480	16850	30330	22x11	242
							कुल राशि	502

अधिक भुगतान राशि

1	श्री सुरेश कुमार	₹502
2	श्री हरदीप सिंह	₹502
	कुल राशि	**₹1004**

लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.17 द्वारा उपरोक्त मामला मन्दिर न्यास के अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारित करके अधिक भुगतान ₹1004 की सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 2 / 2017 के वेतन से वसूली कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

25 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ गलत तरीके से निर्धारित करने पर ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

श्री जोगिन्द्र पाल प्रवक्ता अंग्रेजी व श्रीमती सुकरमा देवी प्रवक्ता संस्कृत जो कि उक्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किये गये तथा दिनांक 23.12.2009 से वर्ष के अन्तराल के उपरान्त गलत तरीके से वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान की

गई थी जिनके बारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के पैरा 23 में दिया गया है। इस पैरे में दिनांक 22.12.2014 तक अधिक भुगतान की गई ₹4320 की सम्बन्धित कर्मचारियों के माह जून 2016 के वेतन से कर ली गई है। लेकिन इन कर्मचारियों का नियमानुसार पुनः वेतन निर्धारित करके दिनांक 22.12.2014 के आगे भुगतान नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन कर्मचारियों को पुनः दिनांक 23.12.2014 से दिनांक 22.12.2016 तक निम्न विवरणानुसार ₹6840 का अधिक भुगतान किया गया है।

अवधि	**देय राशि**			**भुगतान राशि**			**अन्तरxमाह**	**अधिक भुगतान**
	बैंड पे	**ग्रेड पे**	**जोड़**	**बैंड पे**	**ग्रेड पे**	**जोड़**		
23.12.14 से 22.12.15	12475	4200	16675	12615	4200	16815	140x12	1680
23.12.15 से 22.12.16	12910	4200	17110	13055	4200	17255	145x12	1740
							कुल राशि	**3420**

दिनांक 22.12.2016 तक अधिक भुगतान की राशि

(1)	श्री जोगिन्द्र पाल प्रवक्ता अंग्रेजी	₹3420
(2)	श्रीमती सुकरमा प्रवक्ता संस्कृत	₹3420
	कुल राशि	**₹6840**

उपरोक्त मामला लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 159 दिनांक 3.2.207 द्वारा मन्दिर न्यास के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया। मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये इन कर्मचारियों का वेतन नियमानुसार निर्धारित करके भुगतान करना शुरू कर दिया है तथा उपरोक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान ₹6840 की सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 2/2017 के वेतन से वसूल कर लिया गया जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान कर ली गई। अतः भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26 श्री ओम प्रकाश ड्राईवर को वेतन रजिस्टर में भुगतान किये वेतन सेवा पुस्तिका अनुसार दर्शाये गये वेतन एवं वास्तव में भुगतान किए जाने वाले वेतन में भिन्नता एवं अधिक भुगतानः–

लेखा परीक्षा के दौरान श्री ओमप्रकाश ड्राईवर की सेवा पुस्तिका एवं उन्हें भुगतान किए गये वेतन की जाँच करने पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश की सेवा पुस्तिका अनुसार उनका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित दर्शाया गया था।

दिनांक 1.10.2010 को वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त निर्धारित वेतन	7560+1900=9460
दिनांक 1.10.2012 को पद/पवर्ग वार ₹5910–20200+2400 ग्रेड पे में निर्धारित वेतन	7550+2400=9950
1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	7850+2400=10250
1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	8160+2400=10560
1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	8480+2400=10880
1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	8810+2400=11210

उपरोक्त विवरणानुसार श्री ओम प्रकाश की सेवा पुस्तिका अनुसार उन्हें दिनांक 1.10.2011 व 1.10.2012 को देय वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की गई थी। वेतन रजिस्टर में भुगतान किए गये वेतन के अनुसार श्री ओम प्रकाश चालक को निम्न विवरणानुसार मूल वेतन के आधार पर भुगतान किया गया था।

दिनांक	**भुगतान किया गया मूल वेतन**
1.10.2012	8240+2400=10640
1.10.2013	8560+2400=10960
1.10.2014	8890+2400=11290
1.10.2015	9210+2400=11610
1.10.2016	8820+2400=11220

सेवा पुस्तिका में दिनांक 1.10.2010 तक निर्धारित वेतन क आधार पर दिनांक 1.10.2010 से आगे वास्तव में नियमानुसार निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया जाना था।

दिनांक 1.10.2010 को सेवा पुस्तिका अनुसार निर्धारित वेतन	7560+1900=9460
1.10.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि	7850+1900=9750
1.10.2012 को पद/प्रर्वग वार ₹5910–20200+2400 ग्रेड पे के वेतन मान के वेतन निर्धारण	7850+2400=10250
1.10.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	8160+2400=10560
1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	8480+2400=10880
1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	8810+2400=11210
1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	9150+2400=11550
1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	9500+2400=11900

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन वास्तविक भुगतान किए गये वेतन एवं नियमानुसार देय वेतन में भिन्नता पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त श्री ओमप्रकाश ड्राईवर को नियमानुसार वेतन निर्धारित किया जाए तथा नियमानुसार देय वेतन एवं वास्तविक भुगतान वेतन के अनुसार अधिक भुगतान की गई राशि की अपने स्तर पर गणना करके अधिक भुगतान राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली सुनिश्चित की जाए व भविष्य में संस्था की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की अनियतिता पर रोक लगाई जा सके।

27 श्री सुरजीत सिंह कैन्टीन सहायक की सेवा पुस्तिका के अनुसार दिनांक 1.10.2012 से गलत वेतन निर्धारित करनाः–

श्री सुरजीत सिंह कैन्टीन सहायक की सेवा पुस्तिका के अनुसार 1.10.2011 को उनका वेतन ₹8480+1650 ग्रेड पे=₹10130 था 1.10.2012 से श्री सुरजीत सिंह को पद/प्रर्वग वार संशोधित वेतनमानों में निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया दर्शाया गया था।

दिनांक 1.10.2011 को वेतन	₹8480+1650=₹10130
दिनांक 1.10.2012 को पद/पवर्ग वार संशोधित वेतनमानों में निर्धारित वेतन	₹8480+1650=₹10130
1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹8790+1650=₹10440
1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹9110+1650=₹10760
1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹9440+1650=₹11090
1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹9780+1650=₹11430

पद/प्रर्वग वार संशोधित वेतनमानों में सरकार द्वारा लंगर सहायक का वेतन संशोधित नहीं किया गया था। अतः दिनांक 1.10.2012 से पद/प्रर्वग वार संशोधित वेतनमानों के अर्न्तगत श्री सुरजीत सिंह लंगर सहायक का वेतन मान संशोधित निर्धारित नहीं किया जाना अपेक्षित था। न ही पद/प्रवर्ग वार दिनांक 1.10.2012 से संशोधित वेतनमानों क अन्तर्गत वेतन निर्धारित करते समय उन्हें कोई लाभ प्रदान किया गया था। लेकिन श्री सुरजीत सिंह को 1.10.2012 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई थी। अतः श्री सुरजीत सिंह को 1.10.2012 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुये उनका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना अपेक्षित हैः–

दिनांक 1.10.2011 को सेवा पुस्तिका के अनुसार वेतन	₹8480+1650=₹10130
दिनांक 1.10.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹8790+1650=₹10440
1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹9110+1650=₹10760
1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹9440+1650=₹11090
1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹9780+1650=₹11430
1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹10130+1650=₹11780

वेतन रजिस्टर के अनुसार श्री सुरजीत सिंह को वास्तव में 30.9.2015 तक उपरोक्त अनुसार ही भुगतान किया गया है। सेवा पुस्तिका में वेतन कम दर्शाया गया था जबकि वास्तविक भुगतान ठीक किया जा रहा था। दिनांक 1.10.2015 से दिनांक 30.9.2016 तक वेतन रजिस्टर के अनुसार ₹9770+1650=₹11420 मूल वेतन के आधार पर भुगतान किया गया था जबकि उपरोक्त अनुसार उन्हे ₹9780+160=₹11430 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था उन्हें ₹10 प्रतिमाह मूल वेतन का कम भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.10.2016 से श्री सुरजीत सिंह को ₹9780+1650=₹11430 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है जबकि उन्हें उपरोक्त अनुसार ₹10130+1650=₹11780 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः श्री सुरजीत सिंह कैन्टीन सहायक का उपरोक्त अनुसार वेतन निर्धारित करके उन्हें तदानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध द्वारा संचालित महाविद्यालय चकमोह के वर्ष 2015 व 2016 के लेखों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई

28.1 ₹218896 महाविद्यालय के बिजली बिलों व दूरभाष बिलों का छात्र निधियों से अनुचित भुगतानः–

महाविद्यालय में छात्रों से प्राप्त निधियों से महाविद्यालय कार्यालय के दूरभाष बिलों व बिजली बिलों का भुगतान किया गया था। छात्रों से प्राप्त निधियों से वहीं व्यय किया जा सकता है जो छात्रों के क्रियाकलापो से सम्बन्धित एवं छात्रों के कल्याणार्थ को छात्र निधियो से कायर्झलय के दूरभाष बिलों व बिजली बिलों का किया गया भुगतान छात्र निधि पर उचित प्रभार नहीं है। कार्यालय के दूरभाष बिलों व बिजली बिलों का भुगतान मन्दिर निधि से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। छात्र निधियों से **परिशिष्ट "ठ (1, 2)** पर दिये गये

विवरणानुसार वर्ष 2015 व 2016 के दौरान ₹218896 का व्यय कार्यालय के दूरभाष बिलों व बिजली बिलों के लिए किया गया था जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से भी हैः—

क्र0सं0	भुगतान की अवधि	भुगतान का विवरण	राशि
1	1.1.2015 से 31.12.2016	दूरभाष बिलों का भुगतान	64101
2	1.1.2015 से 31.12.2016	बिजली बिलों का भुगतान	154795
		कुल राशि	**218896**

उपरोक्त विवरणानुसार छात्र निधियों से अनियमित रूप से किए गये अनुचित व्यय ₹218896 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि सम्बन्धित निधियों में जमा की जाए जिनसे यह व्यय किया गया है।

28.2 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹534373 का अनुचित व्ययः—

पुस्तकालय (लाईब्रेरी) प्रतिभूति निधि विद्यार्थियों से प्रवेश के समय प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की जाती है तथा महाविद्यालय छोड़ने पर प्रतिभूति की राशि सम्बन्धित विद्यार्थियों को वापिस की जानी अपेक्षित है। प्रतिभूति की जमा राशि से कोई व्यय नहीं किया जा सकता। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रतिभूति की राशि महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को वापिस नहीं की गई थी। प्रतिभूति की राशि से निम्न विवरणानुसार ₹534373 का अनुचित रूप से व्यय किया गया था। पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि से अनियमित रूप से व्यय करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अनुचित रूप सें किए गए व्यय ₹534373 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि पुस्तकालय प्रतिभूति खाते में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	व्यय का विवरण	राशि (₹)
1	1.5.15	विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र शुल्क हि0प्र0 विश्वविद्यालय में जमा किया गया	50250
2	4.9.15	पुस्तकालय के लिए खादी बोर्ड हमीरपुर से फर्नीचर क्रय किया	125000
3	4.9.15	छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय	36000
4	15.9.15	कैन्ट आर ओ वाटर फिल्टर क्रय किया गया	18000
5	15.9.15	कैन्ट इलाईट आर ओ क्रय किया गया	32000
6	29.9.15	छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय	38000
7	6.10.15	महाविद्यालय की कैन्टीन मुरम्मत से सम्बन्धित व्यय	30000
8	8.10.15	बायोमैट्रिक उपस्थिति मशीन क्रय पर व्यय	36000
9	2.11.15	खेलकूद प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित व्यय	17000

10	19.11.15	खेलकूद प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित व्यय	27000
11	5.12.15	फोटोस्टेट मशीन स्टेपलाईजर क्रय पर व्यय	4150
12	29.01.16	वार्षिक पत्रिका छपवाने पर व्यय	80000
13	15.3.16	कम्पयूटर हेतु 12 नं0 बैटरी क्रय पर व्यय	40973
		कुल राशि	**534373**

28.3 (क) ब्याज स्वरूप ₹0.46 लाख की हानिः—

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय चकमोह की मिश्रित निधि की रोकड़ बही के अनुसार बैंक खाता संख्या 11504654235 से दिनांक 19.9.2016 को चैक संख्या 690489 द्वारा ₹1000000 सावधि जमा में निवेश करने हेतु एच0डी0एफ0सी0 बैंक बडसर को दिये गये थे। बैंक से सावधि जमा की रसीद प्राप्त नहीं की गई लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर जब बैंक से इस सन्दर्भ में सूचना प्राप्त की गई तो बैंक द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त राशि बचत खाते में जमा की गई है प्रधार्नाचार्य के नाम से बैंक खाता संख्या 50100182876855 में ₹1000000 दिनांक 19.9.2016 को जमा की गई थी तथा इस राशि पर बैंक द्वारा निम्नानुसार ब्याज जमा किया गया था।

दिनांक	ब्याज की जमा राशि
1.10.2016	1311
1.1.2017	10068
1.4.2017	9975
जोड़	**21354**

उपरोक्त राशि को सावधि जमा में निवेशित करने पर इस राशि पर दिनांक 19.9.16 से 19.6.2017 तक 8.75 प्रतिशत सावधि जमा पर प्रचलित देय ब्याज दर से ₹67071 ब्याज प्राप्त होना अपेक्षित था लेकिन उपरोक्त राशि को बचत खाते में जमा करने पर उपरोक्त विवरणानुसार ₹21354 ही ब्याज के प्राप्त हुये है। अतः उपरोक्त राशि को सावधि जमा में निवेश करने के स्थान पर बैंक द्वारा बचत खाते में जमा करने बारे मामला बैंक से उठाया जाए तथा ब्याज की हुई हानि ₹45717 (₹67071—₹21354) की बैंक से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) समिश्रित निधि से ₹0.09 लाख का अनुचित व्ययः—

महाविद्यालय के समिश्रित निधि से ब्याज वाउचर संख्या 286 दिनांक 12.2.2015 द्वारा ₹9070 का भुगतान प्राचार्य के माह 6/2014 से 8/2014 तक के यात्रा भत्ता दावों के रूप

में किया गया था। प्राचार्य के यात्रा भत्ता दावों का भुगतान छात्र निधियों से करना छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः समिश्रित निधि से अनियमित रूप से प्राचार्य के यात्रा भत्ता दावों की भुगतान की गई राशि की मन्दिर न्यास निधि से प्रतिपूर्ति करके ₹9070 समिश्रित निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में छात्र निधियों से छात्रों के क्रियाकलापों से सम्बन्धित व्यय ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28.4 ₹2010 की कम जमा राशिः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विद्यार्थियों से रसीदों के माध्यम से प्राप्त निधियों की निधि संग्रह रजिस्टर में राशि प्रविष्टियाँ करते समय निम्न विवरणानुसार ₹2010 से सम्बन्धित रसीदों की निधि संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप यह राशि सम्बन्धित रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों में जमा नहीं की गई थी। अतः ₹2010 की प्राप्त राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त ₹2010 की सम्बन्धित चूककर्ता से वसूल करके राशि सम्बन्धित निधियों की रोकड़ बही में दर्ज करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	नाम	कक्षा	रो0न0	रसीद राशि (₹)	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज राशि (₹)	कम दर्ज राशि (₹)
1	22.6.15	2664	रीनू बाला	B.A. III Sem.	1114	1950	–	1950
2	29.6.15	3139	शालिनी	B.A. I Sem	4030	560	500	60.00
							कुल	**2010**

28.5 महाविद्यालय द्वारा छात्रों से विलम्ब शुल्क (Late fees) ₹0.20 लाख की वसूली न करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ द्वारा संचालित महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015–16 के प्रविवरण (Prospactus) में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 11 जून से 20 जून तक विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क के साथ एवं 21 जून से 30 जून तक प्रवेश विलम्ब शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी/प्रतिदिन की दर से वसूल करके दिया जाना अपेक्षित था, जबकि **परिशिष्ट "ङ"** में वर्णित रसीदों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में विद्यार्थियों को

उक्त अवधि के पश्चात प्रवेश शुल्क के बिना तथा गलत योग गणना के कारण कम विलम्ब शुल्क वसूल करके दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि में संस्थान को ₹20090 की हानि हुई। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से विलम्ब शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

28.6 देरी से वापिस की पुस्तकों के लिए जुर्माने के रूप में ₹2388 की वसूली न करने बारेः—

महाविद्यालय के पुस्तकालय से विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु पुस्तकें जारी की गई थी। महाविद्यालय के प्रविवरण (Prospectus) में दिये गये प्रावधानानुसार पुस्तकों को 15 दिन के पश्चात वापिस न करने पर छात्रों से ₹1 प्रतिदिन/प्रति पुस्तक जुर्माने के रूप में वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतम मामलों में देरी से पुस्तकों को वापिस करने पर देरी शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस राशि का सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ढ"** में दिया गया है। अतः ₹2388 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि अनुपस्थित जुर्माना निधि में जमा की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

28.7 महाविद्यालय द्वारा छात्रों से प्राप्त फीस की ₹1176410 को समिश्रित निधि (A/F) खाते में जमा करवाने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध द्वारा संचालित बाबा बालक नाथ महाविद्यालय के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के अंकेक्षण के दौरान छात्रों से रसीदों के माध्यम से प्राप्त फीस की राशि व बैंक में जमा राशि की जाँच पड़ताल में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा फीस की प्राप्त ₹1176410 को निम्न विवरणानुसार मिश्रित निधि खाते में जमा करवाया गया था जबकि नियमानुसार यह राशि विभिन्न निधि लेखों से सम्बन्धित खातों में जमा की जानी अपेक्षित थी। अतः महाविद्यालय द्वारा राशि को मिश्रित निधि लेखें (A/F A/C) में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अपेक्षित राशि को अब से मिश्रित निधि खाते से हस्तांतरित करके सम्बन्धित निधि खातों मे जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

क्र0 सं0	दिनांक	रसीद विवरण	टयूशन फीस	मिश्रित निधि	पी0टी0ए0 निधि	जुर्माना निधि	कुल योग राशि (₹)	जमा विवरण
1	22.12.15	3397 से 1823	82200	722950	259000	–	1064150	मिश्रित निधि खाता सं0 11504654235 दिनांक 31.12.15 ₹1064150
2	23.12.15	1824 से 1884	9000	55350	21350	5900	91600	खाता सं0 235 दिनांक 1.1.16 ₹91600
3	25.12.15	1885 से 1887	600	2510	1050	300	4460	खाता सं0 235 दिनांक 2.1.16 ₹4460
4	26.12.15	1888 से 1895	1200	7920	2800	800	12720	खाता सं0 235 दिनांक 6.1.16 ₹12720
5	27.12.15	1896 से 1897	600	1980	700	200	3480	खाता सं0 235 दिनांक 8.1.16 ₹3480
							₹1176410	

28.8 विद्यार्थियो ंसे प्राप्त पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि वापिस न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बलक नाथ द्वारा संचालित महाविद्यालय के लेखा परीक्षा अवधि 1/2015 से 12/2016 के दौरान जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा किसी भी विद्यार्थी को लाईब्रेरी (पुस्तकालय) प्रतिभूति की राशि वापिस नहीं की गई थी जबकि विद्यार्थियों से प्राप्त पुस्तकालय की राशि को महाविद्यालय छोडने पर उन्हें वापिस किया जाना अपेक्षिता था। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि विद्यार्थियों को वापिस न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाए कि विद्यार्थी अपनी लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि महाविद्यालय छोड़ने पर वापिस प्राप्त कर सके।

28.9 ₹500 जमा न करनाः–

मैनेजमैन्ट कमेटी निधि की रोकड़ बही में वाउचर संख्या 285 दिनांक 12.2.15 द्वारा ₹2500 की डाक टिकटें क्रय की गई दर्शाई गई थी लेकिन डाक टिकट प्राप्ति एवं व्यय रजिस्टर के अनुसार उपरोक्त व्यय के विरूद्ध ₹2000 की टिकटें ही प्राप्त दर्शाई गई थी। ₹500 की डाक टिकटें कम क्रय की गई थी इस राशि को वापिस रोकड़ बही में जमा नहीं किया गया था। उपरोक्त ₹500 को वार्षिक रोकड़ बही में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त ₹500 की चूककर्ता से वसूली करके राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

29 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय चकमोह के वर्ष 2015 व 2016 के लेखों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(1) संस्कृत महाविद्यालय में विद्यार्थियों से प्राप्त किए गए जा रहे निधियों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्राप्त निधियो ंको अलग रोकड़ बही एवं बैंक खाता संख्या 1504654166 (भारतीय स्टेट बैंक) में रखा गया था। इस खाते में चैक संख्या 631772 से दिनांक 17.9.2015 द्वारा ₹132559 का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कुसुम्पटी, शिमला को संस्कृत महाविद्यालय के कर्मचारियो के भविष्य निधि अंशदान माह 8/2015 के रूप में किया गया था। उपरोक्त ₹132559 मन्दिर न्यास कार्यालय सें प्राप्त हुई थी जिसे दिनांक 29.9.2015 को संस्कृत महाविद्यालय के छात्र निधियों से सम्बन्धित समिमिश्रत निधि के बैंक खताा संख्या 01504654199 में जमा किया गया था। जबकि यह राशि उपरोक्त खाता संख्या 1504654166 में जमा की जानी वाँछित थी। क्योंकि इसी खाते से उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया था। अतः उपरोक्त ₹132559 को संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों के समिश्रित निधि से निकालकर छात्रों के विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित बैंक खाता संख्या 1504654166 में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(2) ₹12310 का अनुचित व्ययः–

संस्कृत महाविद्यालय के समिश्रित निधि से सम्बन्धित खाता संख्या 1504654199 से निम्नविवरणानुसार ₹12310 का किया गया व्यय समिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था। यह भुगतान विद्यार्थियों से प्राप्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय निधियों से सम्बन्धित था तथा इस व्यय का भुगतान भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय निधि से किया जाना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित भुगतान को संस्कृत महाविद्यालय के समिश्रित निधि से करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अनियमित रूप से समिश्रित निधि से किए गये व्यय ₹12310 की संस्कृत महाविद्यालय के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित खाते से प्रतिपूर्ति करके राशि को समिश्रित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	150	27.9.16	वित्त अधिकारी हि0प्र0 विश्वविद्यालय को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान	4205
2	158	4.11.16	वित्त अधिकारी हि0प्र0 विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क का भुगतान	7200
3	165	31.12.16	वित्त अधिकारी हि0प्र0 विश्वविद्यालय को रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान	905
			कुल	**₹12310**

(3) संस्कृत महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियोंसे विलम्ब शुल्क ₹3360 की वसूली न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ द्वारा संचालित श्री विश्व नाथ संस्कृत महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015–16 व 2016–17 के प्रविवरणों (Propectus) में वर्णित प्रवेश निर्देशों के अनुसार क्रमशः दिनांक 11 जून से 20 जून 2015 तथा 21 जून से 25 जून 2016 तक विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क बिना विल्म्ब के साथ एवं 21 जून से 30 जून 2015 व 26 जून से 30 जून 2016 तक प्रवेश शुल्क विलम्ब शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी/प्रतिदिन की दर से वूसल करके दिया जाना अपेक्षित था जबकि निम्न विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 व 2016–17 में विद्यार्थियों को उक्त अवधि के पश्चात प्रवेश शुल्क के बिना तथा गलत योग गणना के कारण कम विलम्ब शुल्क प्राप्त करके दिया गया है जिसके कारण

उक्त अवधि में महाविद्यालय को ₹3360 की हानि हुई। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से विलम्ब शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे महाविद्यालय निधि में जमा करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	प्रवेश की तिथि	रसीद सं0	विद्यार्थियां की सं0	विलम्ब शुल्क की वूसली योग्य राशि (₹)	राशि जो वसूल की गई (₹)	अन्तर राशि (₹)
1	25.6.15	265	1	10x5=50	—	50
2	26.6.15	278	1	10x6=60	—	60
3	26.6.15	281	1	10x6=60	—	60
4	26.6.15	282	1	10x6=60	—	60
5	26.6.15	283	1	10x6=60	—	60
6	27.6.15	284	1	10x7=70	—	70
7	27.6.15	285	1	10x7=70	—	70
8	27.6.15	286	1	10x7=70	—	70
9	27.6.15	287	1	10x7=70	—	70
10	30.6.15	302	1	1x100=100	30	70
11	30.6.15	303	1	100	30	70
12	30.6.15	304	1	100	30	70
13	30.6.15	305	1	100	30	70
14	30.6.15	317	1	1x100=100	30	70
15	30.6.15	318	1	1x100=100	30	70
16	30.6.15	320	1	1x100=100	30	70
17	20.7.15	339	1	1x230=230	—	230
18	20.7.15	340	1	1x230=230	—	230
19	28.6.15	386 से 400	15	15x30=450	—	450
20	29.6.15	401 से 405	5	5x40=200	—	200
21	30.6.16	406 से 410	5	5x50=250	—	250
22	4.7.16	412	1	1x90=90	—	90
23	4.7.16	414	1	1x90=90	—	90
24	4.7.16	415	1	90	—	90
25	16.7.16	416	1	1x210=210	—	210

26	23.7.16	418	1	1x280=280	50	230
27	23.7.16	419	1	1x280=280	50	230
					योग	**₹3360**

30 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोट सिद्ध द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह के वर्ष 2015 व 2016 के लेखों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

30.1 समिश्रित निधि से ₹0.06 लाख का अनुचित व्ययः–

समिश्रित निधि से निम्न विवरणानुसार ₹5861 का व्यय कार्यालय के बिजली बिलों के भुगतान यात्रा भत्ता दावे के भुगतान व टैक्सी चार्जिज इत्यादि से सम्बन्धित भुगतान के सम्बन्ध में किया गया था यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है छात्रों से प्राप्त निधियों से वही व्यय किया जा सकता है। जो छात्रों के क्रियाकलापों से सम्बन्धित एवं छात्रों के कल्याणार्थ हो। कार्यालय से सम्बन्धित अन्य व्यय जैसे दूरभाष बिल, बिजली बिल व स्टॉफ के यात्रा भत्ता दावे जो छात्रों के क्रियाकलाप से सम्बन्धित नहीं है का व्यय मन्दिर निधि से किया जाए। समिश्रित निधि से अनियमित रूप से किए गये व्यय ₹5861 की प्रतिपूर्ति मन्दिर निधि से करके राशि समिश्रित निधि निधि से जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	30.6.15	कार्यालय बिजली बिल	2449
2	30.6.15	यात्रा भत्ता बिल (श्री रमेश कुमार दैहल प्रवक्ता का ग्राम पंचायत सकड़ी में प्रयवेक्षक के तौर पर उपस्थिति से सम्बन्धित यात्रा भत्ता दावा)	412
3	30.6.15	टैक्सी चार्जिज (कोर्ट केस के सम्बन्ध में निदेशक भाषा एवं संस्कृति कार्यालय एवं कोर्ट में उपस्थिति से सम्बन्धित)	3000
		जोड़	**5861**

30.2 अनुपस्थिति जुर्माना निधि से ₹0.05 लाख का अनुचित व्ययः–

अनुपस्थिति जुर्माना निधि से निम्नविवरणानुसार ₹4976 का भुगतान कार्यालय के बिजली बिलों दूरभाष बिलों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावों से सम्बन्धित किया गया था जोकि अनुपस्थिति जुर्माना निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः भविष्य में छात्र निधियो से वही व्यय किया जाए तो छात्रों के कल्याणार्थ हो कार्यालय से सम्बन्धित बिजली बिलों,

दूरभाष बिलों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावों का भुगतान मन्दिर निधि से किया जाए। इसके अतिरिक्त अनुपस्थिति जुर्माना निधि से किए गये अनुचित व्यय ₹4976 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि अनुपस्थिति जुर्माना निधि से किये गये अनुचित व्यय ₹4976 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि अनुपस्थिति जुर्माना निधि मे जमा की जाए।

भुगतान की तिथि		व्यय का विवरण	राशि (₹)
26.10.15	1	श्री कमल देव शर्मा लिपिक का ई0पी0एफ0 कार्यालय जाने से सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिल	740
	2	श्री कमल देव शर्मा लिपिक का सी ए आफिस हमीरपुर जाने से सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिल	120
	3	श्री कर्म सिंह (एल0ए0) को हाई कोर्ट शिमला जाने से सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिल	1002
	4	बिजली बिल	1774
	5	दूरभाष बिल	1340
		कुल	**₹4976**

30.3 अनुपस्थिति जुर्माना निधि से दिनांक 26.10.2015 को ₹788 का व्यय विद्यार्थियों के पहचान पत्र छपवाने पर किया गया था। पहचान पत्र क्रय से सम्बन्धित व्यय अनुपस्थिति जुर्माना निधि पर उचित प्रभार नहीं है यह व्यय पहचान पत्र से किया जाना था। अतः पहचान पत्र क्रय पर अनुपस्थिति जुर्माना निधि से किए गए व्यय ₹788 की पहचान पत्र निधि से प्रतिपूर्ति करके राशि अनुपस्थिति जुर्माना निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में पहचान पत्र क्रय से सम्बन्धित व्यय पहचान पत्र निधि से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30.4 ₹497 को कम जमा करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यार्थियों से रसीदों के माध्यम से प्राप्त निधियों की निधि संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करते समय निम्न विवरणानुसार प्राप्त ₹497 से सम्बन्धित रसीदों की निधि संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप यह राशि सम्बन्धित रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों में जमा नहीं की गई थी। ₹497 की प्राप्त राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त ₹497 की चूककर्ता से वसूली करके राशि सम्बन्धित निधियों की रोकड़ बहियों में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	रसीद सं0	नाम	कक्षा	रो0नं0	रसीद राशि (₹)	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज राशि (₹)	कम दर्ज राशि (₹)
1	8.10.16	961	मनु शर्मा	+2	304	492	–	492
2	3.10.16	1595	पंकज शर्मा	+2	512	572	567	5
							योग	**₹497**

31 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध द्वारा संचालित माडल उच्च पाठशाला के वर्ष 2015 व 2016 के लेखों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

31.1 प्राप्त शुल्क ₹566 को जमा न करनाः–

अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि विद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार छात्रों से रसीदों के माध्यम से प्राप्त शुल्क ₹566 को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था और न ही इस राशि को बैंक खातों में जमा किया गया। अतः इस राशि की सम्बन्धित चूककर्ता से वसूली करके सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	नाम	कक्षा	रसीद राशि
1	25.5.15	933	सास्वत	5th	135
2	25.5.15	934	संजीवन	2nd	105
3	22.5.15	947	सुषमा	6th	131
4	22.5.15	954	नमिता	2nd	135
5	23.5.15	955	निखिल	4 KG	60
				योग	**₹566**

31.2 मन्दिर न्यास माडल उच्च पाठशाला चकमोह में बैंक खाता संख्या 11504654360 अध्यक्ष मन्दिर न्यास के नाम से खोला गया है। इस खाते में विद्यार्थियों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को जमा किया जाता है। इस खाते से व्यय व प्राप्ति का विवरण मन्दिर लेखों में नहीं दिखाया गया है। शिक्षण शुल्क की राशि मन्दिर न्यास में जमा की जानी अपेक्षित है। अतः शिक्षण

शुल्क की प्राप्त राशि को प्राप्ति के तुरन्त मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त बैंक खाते में दिनांक 31.12.2016 को ₹2152105 जमा थी इस राशि को शीघ्र मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए तथा उपरोक्त बैंक खाते को या तो मन्दिर न्यास में हस्तांतरित किया जाए ताकि मन्दिर लेखों में यह खाता दिखाया जा सके या इस खाते को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जाए। ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

32 ₹0.60 लाख के भुगतान के सम्बन्ध में वाउचर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

मन्दिर न्यास के दान निधि खाते से चैक संख्या 045870 दिनांक 18.4.2015 द्वारा ₹59760 का भुगतान प्रभारी पुलिस चौकी दियोटसिद्ध को पुलिस चौकी में लगे कैमरो की मुरम्मत से सम्बन्धित बिल के रूप में किया दर्शाया गया था। भुगतान के समर्थन में सम्बन्धित फर्म का सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित बिल भुगतान की स्वीकृति व्यय करने के सम्बन्ध मे ंपूर्ण की गई औपचारिकताओं से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये। भुगतान के समर्थन में वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएं।

33 ₹740 का अधिक भुगतानः–

दान निधि से चैक संख्या 45583 दिनोंक 8.4.2015 द्वारा ₹78091 का भुगतान मै0 ठाकुर इन्टरप्राईजिज नजदीक मैहरे जिला हमीरपुर को बिल संख्या 286, 287 दिनांक 2.3.2015 के विरूद्ध सैनेटरी सामग्री क्रय करने पर किया गया था। फर्म द्वारा निविदा में दर्शाई गई दर व बिल में दर्शाई गई दर में भिन्नता के कारण ₹740 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	मात्रा	निविदा दर (₹)	बिल में दर्शाई गई दर (₹)	दर में भिन्नता (₹)	अधिक भुगतान
1	टी (जी आई)	25 नं0	38	60	22	550
2	½" x½" जिन्दल हैवी 3/4 ईंच x3/4 ईंच जिन्दल एम	10 नं0	56	75	19	190
					कुल	**₹740**

अधिक भुगतान ₹740 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाए।

34 वाहनः—

1 मन्दिर न्यास के वाहन संख्या एच0पी0 21A-7002 की लॉग बुक में पैट्रोल की मासिक विवरणिका में अन्तर के बारे मेंः—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध के वाहन संख्या एच0पी0—21A-7002 की जाँच करने पर पाया गया कि इस गाड़ी के पैट्रोल की मासिक विवरणिका में माह के दौरान डलवाए गए तेल व मासिक विवरणिका में निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि चूककर्ता से पैट्रोल के अन्तर की राशि वसूल करके अपेक्षित राशि को मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में वाहनों की लॉग बुक में डलवाए गए तेल व मासिक विवरणिका में उचित प्रविष्टियों का इन्द्राज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	लॉग बुक पेज सं0	माह के दौरान विभिन्न तिथियों को प्राप्त तेल की कुल मात्रा (लीटर)	मासिक तेल विवरणिका में दर्शाई गई प्राप्त तेल की मात्रा (लीटर)	अन्तर तेल (लीटर)
1	3.2.2015	49	20		
	12.2.2015	50	25.81	30	15.81
			45.81		
2	2.2.15	40 (बिल रजिस्टर (पेज सं0)	40		
	3.2.16	78	28		
	9.2.16	79	17		
	12.2.16	80	25		
	16.2.16	79	20		
	23.2.16	80	32		
	27.2.16	81	28		
			190	150	40
3	11.5.2016	86	21	—	21
				कुल अन्तर तेल	**76.81**

34.2 वाहन संख्या एच पी–21 ए 2001 के डीजल की विवरणिका में अन्तर के बारे में:–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के वाहन संख्या एच0पी0 21ए 2001 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि लॉग बुक में दिनांक 30.4.2015 को पृष्ठ संख्या 128 पर कुल डीजल तेल का अन्तशेष 27 लीटर बकाया दर्शाया गया था, माह 5/2015 में कुल 100 लीटर डीजल तेल भरवाया गया तथा कुल डीजल तेल (27+100)=127 लीटर माह 5/2015 का मासिक जोड़ बनता है। परन्तु लॉक बुक मे दिनांक 31.5.2015 पृ0सं0 130 में कुल डीजल तेल 104 लीटर दर्शाया गया। इस प्रकार लॉग बुक में (127–104=23 लीटर) डीजल तेल कम दर्शाया गया है। अतः 23 लीटर डीजल तेल की राशि की वसूली चूककर्ता से वसूल करके इसे न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

34.3 मन्दिर न्यास द्वारा वाहनों की विभिन्न यात्राओं को सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से सत्यापित न करवाने बारे:–

मन्दिर न्यास की विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार वाहनों की विभिन्न यात्राओं को सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था। न्यास द्वारा वाहनों की इन यात्राओं को सत्यापित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इन सभी यात्राओं को मन्दिर अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) वाहन संख्या एच पी–21A-7002

क्र0सं0	दिनांक	लॉग बुक पेज नं0	प्रारम्भिक रीडिंग	समाप्ति रीडिंग	तय यात्रा कि0मी0
1	28.1.15 से 29.1.15	49	20703	20823	120 कि0मी0
2	10.10.15	69	32664	32824	160 कि0मी0
3	14.10.15	69	32872	33107	235 कि0मी0
4	16.6.16	87	42022	42114	92 कि0मी0

5	30.7.16	88	42452	42470	18 कि0मी0
6	6.9.16	90	42837	42876	39 कि0मी0
7	14.9.16	90	42928	42970	42 कि0मी0
8	24.10.16 से 31.10.16	91	43420	43711	291 कि0मी0

(2) वाहन संख्या एच–21–3095

1	3.1.15 से 20.1.15	97	104141	104597	456 कि0मी0
2	3.2.15 से 24.2.15	98	104597	104957	360 कि0मी0
3	2.3.15 से 26.3.15	99	104957	105317	360 कि0मी0
4	4.4.15 से 13.4.15	100	105317	105617	300 कि0मी0
5	1.6.15 से 22.6.15	101	105617	105977	360 कि0मी0
6	20.9.15	102	105977	106277	300 कि0मी0
7	20.9.15	102	106277	107103	826 कि0मी0

35 मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने के लिए विभिन्न विभागों के पास जमा ₹232.55 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक दियोटसिद्ध के अवधि 1/2015 से 12/2016 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों और सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने के लिए दिनांक 31.12.2016 तक ₹23255267 विभिन्न विभागों के पास जमा की गई, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ण"** में दिया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के विरूद्ध जमा की गई उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए है। अतः मन्दिर न्यास अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

36 मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न कार्यालयों/संस्थाओं को दी गई अग्रिम ₹5.53 लाख का समायोजन न करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के अंकेक्षण के दौरान अग्रिम राशियों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न संस्थाओं, विभागों/कार्यालयों को दिनांक 31.12.2016 तक अग्रिम ₹553282 का भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "त"** में दिया गया है परन्तु इन राशियों का समायोजन न्यास द्वारा नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का अविलम्ब समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में भी अग्रिम रूप में दी गई राशियों का समायेाजन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 मन्दिर न्यास की रोकड़ बहियों को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी दियोट सिद्ध के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उप मण्डलाधिकारी बडसर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास है। अंकेक्षण अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ बही को सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। रोकड़ बही को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अब रोकड़ बही को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

38 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास के स्टॉक में पडे सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार स्टॉक में पडे सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित है। अतः न्यास द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पडे सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नियमों के अनुरूप करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

39 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

40 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)195 / 97 खण्ड—7—41—45 दिनांक , 02.01.2018 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. उपायुक्त हमीरपुर, एवं आयुक्त मन्दिर न्यास, हमीरपुर जिला हमीरपुर, हि0प्र0
3 उप मण्डलाधिकारी बड़सर, एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9
5 अवर सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट "क"

(पैरा संख्या–1 (ग) में वर्णित)

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध जिला हमीरपुर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की अवधि 1/2001 से 12/2014 तक की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2011

1	पैरा–5 (क) 8 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त मन्दिर अधिकारी
2	पैरा–5 (क) 8 (ख)	निर्णीत	द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
3	पैरा–5 (क) 8 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–5 (क) 17	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–6 (क) 11 (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (क) (15)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1	पैरा–6 (2)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–6 (10) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा–6 (13)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
4	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (23)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

6	पैरा–6 (27)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा–6 (31)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
8	पैरा–6 (54)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2003

1	पैरा–5 (1)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–6 (1) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा–6 (12) (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
4	पैरा–6 (12) (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
5	पैरा–6 (12) (ग)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
6	पैरा–6 (14) (क)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा–6 (14) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत	
9	पैरा–6 (18) (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (18) (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–6 (32)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
12	पैरा–6 (33) (क)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के

			पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
13	पैरा–6 (33) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
14	पैरा–6 (35)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
15	पैरा–6 (36) (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
16	पैरा–7 (4)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2004

1	पैरा–6 (4) (क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा–6.7 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6.7 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6.7 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6.9 (क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
6	पैरा–6.9 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा–6.9 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–6.9 (घ) (1)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9	पैरा–6.9 (घ) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा–6.9 (ङ)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
11	पैरा–6.9 (च)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा–6.9 (छ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
13	पैरा–6.9 (ज)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
14	पैरा–6.9 (झ) (1)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
15	पैरा–6.9 (झ) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

16	पैरा–6.11	अनिर्णीत	
17	पैरा–6.13	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
18	पैरा–6.14 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा–6.14 (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा–6.15 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा–6.15 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–6.19 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा–6.19 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा–6.20 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा–6.20 (ग)	अनिर्णीत	
26	पैरा–6.21	अनिर्णीत	
27	पैरा–6.23	अनिर्णीत	
28	पैरा–6.27 (क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
29	पैरा–6.27 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
30	पैरा–6.27 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
31	पैरा–6.27 (घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
32	पैरा–6.27 (ङ) (1)	अनिर्णीत	
33	पैरा–6.27 (ङ) (2)	अनिर्णीत	
34	पैरा–6.27 (ङ) (3)	अनिर्णीत	
35	पैरा–6.27 (च) (1)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
36	पैरा–6.27 (च) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
37	पैरा–6.27 (च) (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
38	पैरा–6.27 (च) (4)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
39	पैरा–6.27 (छ) (1)	अनिर्णीत	
40	पैरा–6.27 (छ) (2)	अनिर्णीत	

41	पैरा–6.27 (छ) (3)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6.27 (ज) (1)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6.27 (झ) (1)	अनिर्णीत	
44	पैरा–6.27 (झ) (2)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6.28	अनिर्णीत	
46	पैरा–6.43	अनिर्णीत	
47	पैरा–6.45	अनिर्णीत	
48	पैरा–6.46	अनिर्णीत	
49	पैरा–6.50 (क)	अनिर्णीत	
50	पैरा–6.50 (ख)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6.57	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
52	पैरा–6.64	अनिर्णीत	
53	पैरा–6.71 (क)	अनिर्णीत	
54	पैरा–6.71 (ख)	अनिर्णीत	
55	पैरा–6.71 (ग) (1)	अनिर्णीत	
56	पैरा–6.71 (ग) (2)	अनिर्णीत	
57	पैरा–6.74	अनिर्णीत	
58	पैरा–6.75	अनिर्णीत	
59	पैरा–6.78	अशंतः निर्णीत	
60	पैरा–6.79 (क)	अनिर्णीत	
61	पैरा–6.79 (ख)	अनिर्णीत	
62	पैरा–7.1		
63	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
64	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
65	पैरा–7.4	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
66	पैरा–7.5	अनिर्णीत	

67	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
68	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
69	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
70	पैरा–10.7	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005

1	पैरा–5.4	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–11	अनिर्णीत	
3	पैरा–13	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा–16	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–21.1	अनिर्णीत	
6	पैरा–21.2	अनिर्णीत	
7	पैरा–22	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–25.1	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
9	पैरा–25.2	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा–25.3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
11	पैरा–27	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
12	पैरा–28.1	अनिर्णीत	
13	पैरा–28.2	अनिर्णीत	

14	पैरा–28.3	अनिर्णीत	
15	पैरा–29.1	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
16	पैरा–29.2	निर्णीत	(–यथोपरि–)
17	पैरा–30.1	निर्णीत	(–यथोपरि–)
18	पैरा–30.2	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19	पैरा–30.3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
20	पैरा–30.4	निर्णीत	(–यथोपरि–)
21	पैरा–30.5	निर्णीत	(–यथोपरि–)
22	पैरा–31	अनिर्णीत	
23	पैरा–32.1	निर्णीत	(–यथोपरि–)
24	पैरा–32.2	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
25	पैरा–32.4	निर्णीत	(–यथोपरि–)
26	पैरा–32.5	निर्णीत	(–यथोपरि–)
27	पैरा–32.6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
28	पैरा–33	अनिर्णीत	
29	पैरा–38.1	निर्णीत	(–यथोपरि–)

(च) अकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1 / 2006 से 12 / 2006

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
3	पैरा–10.1	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)

4	पैरा–12.1 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा–12.2	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	निर्णीत	(–यथोपरि–)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2007 से 12/2007

1	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर समायोजन हेतु प्राप्त हो चुके है)
9	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा–15	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
11	पैरा–16	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा–17	निर्णीत	(–यथोपरि–)
13	पैरा–20	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा–21.2		प्रतिवेदन में पैरा नहीं है
15	पैरा–22	निर्णीत	(रसीद बुकों के अवलोकन उपरान्त)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2008

1	पैरा–5.2	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–10	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
4	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
5	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा–12	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
9	पैरा–18	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
10	पैरा–19	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
11	पैरा–20 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
12	पैरा–20 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा–22	अनिर्णीत	
14	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा–26	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009

1	पैरा–8	अनिर्णीत	
2	पैरा–10	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

3	पैरा–11 (ग) (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–11 (ग) (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा–11 (ग) (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–18 (i)	अनिर्णीत	
9	पैरा–18 (ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–18 (iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–21	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है तथा बैंक खाता संख्या 84, 86 व 86 बन्द कर दिये गये है)
12	पैरा–23	अनिर्णीत	
13	पैरा–24	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा–26	अनिर्णीत	
15	पैरा–27 (क)	अनिर्णीत	
16	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा–36 (क)	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1	पैरा–5.1	अनिर्णीत
2	पैरा–5.2	अनिर्णीत
3	पैरा–5.2 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–5.2 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–5.2 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–7.2	अनिर्णीत
7	पैरा–7.3	अनिर्णीत
8	पैरा–10.2	अनिर्णीत
9	पैरा–10.3	अनिर्णीत

10	पैरा–10.4	अनिर्णीत	
11	पैरा–10.5 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10.5 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–10.6	अनिर्णीत	
14	पैरा–10.7	अनिर्णीत	
15	पैरा–10.8	अनिर्णीत	
16	पैरा–10.9	अनिर्णीत	
17	पैरा–10.11	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
18	पैरा–10.12	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19	पैरा–10.13	निर्णीत	(–यथोपरि–)
20	पैरा–13.6	अंनिर्णीत	
21	पैरा–15	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
22	पैरा–16	अनिर्णीत	
23	पैरा–17	अनिर्णीत	
24	पैरा–19	अनिर्णीत	
25	पैरा–23.1	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
26	पैरा–23.2	अनिर्णीत	
27	पैरा–23.3	अनिर्णीत	
28	पैरा–23.4	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7	निर्णीत	(विदेशी मुद्रा की माह 5/2011 व 9/11 की राशि की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त निर्णीत)
5	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	

6	पैरा–8 (छ)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
7	पैरा–8 (ज)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत	
16	पैरा–9 (ट)	अंशतः निर्णीत	(श्री शमशेर चन्द शर्मा दिनांक 26.4.05 सें प्रवीणता वेतन वृद्धि के स्थान पर अपने जूनियर के बराबर दूसरी बार स्टेप अप के पात्र थे। अतः 2nd step up की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दर्शाये)
17	पैरा–9 (ठ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–10 (क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
19	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
23	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	
24	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत	
25	पैरा–12 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
26	पैरा–13	अनिर्णीत	
27	पैरा–14	अनिर्णीत	

28	पैरा–15	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
29	पैरा–16	अनिर्णीत	
30	पैरा–17	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
31	पैरा–19	अनिर्णीत	
32	पैरा–20	अनिर्णीत	
33	पैरा–21 (क)	अनिर्णीत	
34	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा–21 (ग)	अनिर्णीत	
36	पैरा–22 (क)	अनिर्णीत	
37	पैरा–22 (ङ)(i, ii, iii)	अनिर्णीत	
38	पैरा–22 (च)	अनिर्णीत	
39	पैरा–23	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2012

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क)	निर्णीत	(विदेशी मुद्रा विनिमय से सम्बन्धित ₹264809 रोकड़ बही पेज संख्या 207 दिनांक 25.8.2012 को प्राप्त हुई है)
4	पैरा–7 (ग)	निर्णीत	(USA Dollars 105 की राशि ब्याज सहित रसीद संख्या 37370 दिनांक 7.10.14 ₹1500 रसीद संख्या 003177 ₹100 दिनांक 12.1.2017 द्वारा जमा कर दी गई है)
5	पैरा–8 (घ)	निर्णीत	(कम दर्ज की गई सामग्री के मूल्य की रसीद संख्या 2668 दिनांक 15.10.2016 ₹3360 व रसीद संख्या 2739 दिनांक 28.10.2016 ₹1170 द्वारा वसूली कर ली गई है)

6	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
8	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(सिद्ध ऑचल संराये की बुकिंग अब ऑनलाईन की जा रही है)
9	पैरा–10 (क)	अंशतः निर्णीत	(₹11051 की वसूली शेष है)
10	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	(₹2309 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली गई है)
11	पैरा–10 (ग)	अंशतः निर्णीत	(₹51800 की वसूली शेष है जिसका विवरण वर्तमान प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "थ"** में संलग्न है)
12	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
14	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
15	पैरा–13	अनिर्णीत	
16	पैरा–15 (क)	निर्णीत	(₹1540 की वसूली रसीद संख्या 2667 दिनांक 15.10.2016 द्वारा कर ली गई है)
17	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	
18	पैरा–15 (घ)	निर्णीत	(₹795 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली गई है)
19	पैरा–16	अनिर्णीत	
20	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–17 (ग)	अनिर्णीत	
23	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत	
24	पैरा–19	अंशतः निर्णीत	(अध्यक्ष मन्दिर न्यास को जारी अग्रिमों से सम्बन्धित समायोजन वाउचर प्राप्त हो गये है अन्य मामलों के अग्रिमों का समायोजन किया जाना शेष है)

25	पैरा–20	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
2	पैरा–21 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
27	पैरा–21 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
28	पैरा–21 (ग)	अनिर्णीत	
29	पैरा–22	अनिर्णीत	
30	पैरा–23	अनिर्णीत	
31	पैरा–24	अनिर्णीत	

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2013 से 12/2014

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹127000 विभाग में प्राप्ति के उपरान्त)
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
3	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
4	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	
5	पैरा–5	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा के पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0 खण्ड–1–2859 दिनांक 26.5.17 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
7	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
8	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
9	पैरा–6 (घ)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
10	पैरा–6 (ङ)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
11	पैरा–6 (च)	निर्णीत	(–सूचनार्थ–)
12	पैरा–6 (छ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा–7	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा–8	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
15	पैरा–9	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
16	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–11	निर्णीत	(दण्ड ब्याज की ₹550 रसीद संख्या 002695

			दिनांक 18.10.2016 द्वारा जमा कर दी गई है)
18	पैरा–12	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
19	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(₹8690 रसीद संख्या 4407 दिनांक 23.5.2017 द्वारा जमा कर दिये गये है)
20	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	(₹27300 महाविद्यालय की शिक्षण शुल्क की राशि दिनांक 28.7.2016 को पुस्तकालय निधि से निकालकर मन्दिर निधि खाता संख्या 11504654315 में जमा कर दी गई है)
21	पैरा–14 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
22	पैरा–14 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
23	पैरा–14 (ग)	निर्णीत	(दण्ड ब्याज ₹2331 दिनांक 24.6.16 को महाविद्यालय के खाता संख्या 11504654166 में जमा कर दी गई है)
24	पैरा–15	अनिर्णीत	
25	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा–17	अनिर्णीत	
28	पैरा–18	अनिर्णीत	
29	पैरा–19	निर्णीत	(₹475 की वसूली माह 8/2016 के देय माह 9/2016 के वेतन से कर ली गई है)
30	पैरा–20	निर्णीत	(₹5900 की वसूली माह 8/2016 के देय माह 9/2016 के`वतन से कर ली गई है)
31	पैरा–21 (क)	अनिर्णीत	
32	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा–21 (ग)	अनिर्णीत	
34	पैरा–21 (घ)	अनिर्णीत	
35	पैरा–22	अनिर्णीत	
36	पैरा–23	निर्णीत	(₹4320 की वसूली सम्बन्धित प्रवक्ताओं से माह

			6/16 देय 7/2016 के वेतन से कर दी गई है)
37	पैरा–24	अनिर्णीत	
38	पैरा–25	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
39	पैरा–26	निर्णीत	(₹69039 की सम्बन्धित संविदाकारों से वसूली करके राशि बिक्री कर विभाग से जमा कर दी गई है)
40	पैरा–27	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
41	पैरा–28	निर्णीत	(–यथोपरि–)
42	पैरा–29 (क से छ)	अनिर्णीत	
43	पैरा–30	अनिर्णीत	
44	पैरा–31	निर्णीत	(₹31500 दिनांक 14.9.2016 रोकड़ बही पेज संख्या 68 व ₹1000 दिनांक 1.11.2016 रोकड़ बही पेज नं0 86 में वसूली उपरान्त रोकड़ बही में प्रविष्टि इन्द्राज की जाँच की पुष्टि कर ली गई है)
45	पैरा–32	निर्णीत	(अग्रिम प्रदान राशियों के समायोजन से सम्बन्धित वाउचर विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो चुके है जिनका अवलोकन कर लिया गया है)
46	पैरा–33	अनिर्णीत	